[2021] 12 एस. सी. आर. 152

आय कर अधिकारी, क्रम I (2), कुम्बकोणम

& एएनआर।

वी.

वी. मोहन और एएनआर।

(सिविल अपील सं। 8592-8593 2010)

14 दिसंबर, 2021

[ए. एम. खानविलकर और संजीव खन्ना, जे. जे.]

तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वाले (ज़ब्त)

संपत्ति) अधिनियम, 1976: एसएस। 6 (1) , (2) , 2 (2) — ज़ब्त करने की सूचना-अवैध रूप से अर्जित संपत्ति-सक्षम प्राधिकारी का दावा कि ज़ब्त की जाने वाली संपत्ति दोषी की है और जाहिर तौर पर

दोषी के रिश्तेदारों द्वारा आयोजित-यू/के तहत प्राथमिक नोटिस जारी करना एस. 6 (1) ऐसे दोषी पर उसकी प्रति के साथ उसके रिश्तेदारों को यू/एस। 6 (2) - की आवश्यकता-आयोजितः धारा 6 (1) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि

दोषी के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय उस प्रावधान के तहत दोषी या बंदी को प्राथमिक नोटिस देना अनिवार्य है-धारा 6 (1) में कहा गया है कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसके पास दागी संपत्ति है और जिसके संपत्ति के प्रस्तावित ज़ब्त होने से प्रभावित होने की संभावना है-व्यक्ति तुरंत

और सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला व्यक्ति वह है जो संपत्ति का अभिलिखित मालिक है और स्वयं उसके कब्जे में है या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से-सबूत का बोझ यू/एस। 8 दोषी या बंदी द्वारा आरोपमुक्त नहीं किया जाना है, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा किया जाना है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखता है-इस प्रकार, यू/एस के तहत प्राथमिक सूचना देना अनिवार्य नहीं है। 6 (1) ऐसे दोषी पर उसकी प्रति के साथ उसके रिश्तेदारों को यू/एस। 6 (2) – दोषी पर इस तरह के प्राथमिक नोटिस की तामील न करने से केवल उसके खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही दूषित नहीं होगी।

रिश्तेदार-उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कि प्रतिवादी-दोषी के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्रवाई, सक्षम प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई थी, दोषी को नोटिस नहीं देने के कारण दूषित कर दी गई थी, को दरकिनार कर दिया गया।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 का उद्देश्य निर्दिष्ट दोषी/बंदी की "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" तक पहुंचना है।

जिनका नाम रखा जाता है या जिनका नाम रखा जाता है, समय चाहे जो भी हो। [पैरा 32] [178-एच; 179-ए]

1.2 1976 के अधिनियम के तहत व्यवस्था केवल लागू होती है -

अधिनियम की धारा 2 (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति। धारा 2 (2) (ए) संदर्भित करती है

निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की श्रेणी के लिए। जबकि, धारा 2 (2) (बी) निर्दिष्ट निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "व्यक्ति" से

जिसे 1976 का अधिनियम लागू होता है, उसे खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के रिश्तेदार प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करके व्यापक बनाया गया है।

(क) विनिर्दिष्ट कानूनों या खंड (ख) के तहत दोषी ठहराया जाना और विदेशी मुद्रा संरक्षण के तहत हिरासत में लिया जाना और

तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974। धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 में "रिश्तेदार" पद को और विस्तृत किया गया है, ताकि किसी दोषी या बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों तक पहुंचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का दायरा बढ़ाया जा सके, जैसा भी मामला हो। धारा 2 (2) (डी) आगे स्वीप का विस्तार करती है ताकि किसी दोषी या बंदी के सहयोगी को शामिल किया जा सके।

मामला हो सकता है; और धारा 2 (2) (ई) किसी भी संपत्ति के किसी भी धारक (वर्तमान धारक) को अपने दायरे में लेती है, जो किसी भी समय थी।

खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पूर्व में धारित

(ख), अर्थात्, दोषी या बंदी, जैसा भी मामला हो। अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को घेराबंदी में मजबूत किया जाता है।

स्पष्टीकरण 4. इरादा यह सुनिश्चित करना है कि दोषी/बंदी अधिनियम की धारा 2 (2) के खंड (ई) के तहत अपने रिश्तेदार, सहयोगी या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर संपत्तियों के कानूनी हस्तांतरण सहित छलावरण या जांच को अपनाकर भाग न सके। खंड (ग) से (ङ) के इस विस्तारित दायरे की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में की जानी है, लेकिन अधिनियम का दायरा किसी रिश्तेदार या सहयोगी द्वारा धारित प्रत्येक संपत्ति को शामिल करने के लिए नहीं है जब तक कि लिंक और

दोषी/बंदी की अवैध गतिविधियों से संबंध है स्थापित किया गया। क्योंकि, अधिनियम को केवल खंड (ए) या खंड के तहत आने वाले व्यक्ति की 'अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों' को जब्त करने का निर्देश दिया गया है।

((ख) धारा 2 (2) की तृतीय पक्ष द्वारा धारित उनकी निर्दिष्ट संपत्तियों सहित। रिश्तेदारों और दोस्तों की स्वतंत्र संपत्तियां जो दोषी/बंदी की अवैध गतिविधियों के लिए पता नहीं हैं, उन्हें न तो जब्त करने की मांग की जाती है और न ही वे अधिनियम के दायरे में आते हैं। [पैरा 33,34,37,38] [179-ए-बी; 180-ए-सी; 181-सी-ई; 182-ए] [2021] 12 एस. सी. आर.

1.3 धारा 6 के सादे और प्रासंगिक पठन पर, यह है -

यह स्पष्ट करें कि धारा 6 (1) के तहत नोटिस किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाना आवश्यक है जिस पर अधिनियम लागू होता है। जिस से पता चलता है कि 1976 के अधिनियम की धारा 2 (2), यह अधिनियम न केवल दोषी या बंदी पर लागू होता है, बल्कि उनके रिश्तेदार, सहयोगी सहित किसी भी संपत्ति के धारक के लिए भी लागू होता है, जो क्रमशः धारा 2 (2) (सी), 2 (2) (डी) और 2 (2) (ई) है। नोटिस जारी करने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को सक्षम बनाना है।

(नोटिस) में प्रस्तावित प्रमाण के बोझ का निर्वहन करना। 1976 के अधिनियम की धारा 8। इसके बाद उसके पास यह साबित करने का अधिकार है कि नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति उसकी कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति है। [पैरा 47] [186-बी-सी]

1.4 किसी मामले में, हालांकि, यदि संपत्ति एक द्वारा आयोजित की जाती है

व्यक्ति केवल उसके कानूनी कब्जे में होने के कारण, लेकिन प्रासंगिक समय पर संपत्ति का स्वामित्व दोषी या बंदी या उसके रिश्तेदार का है, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह न केवल उसे दे

विचाराधीन संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को, लेकिन संबंधित मामले में उसके मालिक के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को भी नोटिस

अभिलेख। इसी तरह, एक ऐसे मामले में जहां संबंधित अभिलेखों में मालिक के रूप में दिखाए गए व्यक्ति ने विषय संपत्ति को खरीदा था

दोषी या बंदी और बाद में खरीदार होने पर, वर्तमान मालिक और पूर्व मालिक (दोषी या बंदी), दोनों को, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। तथापि, यदि संबंधित अभिलेखों में संपत्ति का स्वामित्व संबंधित

समय कब्जे वाले व्यक्ति का है (जैसा कि इन मामलों में), और दोषी या बंदी नहीं होने के कारण, बाद वाले को नोटिस जारी करने के सवाल का कोई उद्देश्य नहीं होगा। दोषी या बंदी को स्वामित्व अधिकारों सहित ऐसी संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए नहीं सुना जा सकता है और इसी कारण से, उससे 1976 के अधिनियम की धारा 8 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने की उम्मीद नहीं की जाती है कि क्या यह उसकी कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति है और न ही उसे जब्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति कहा जा सकता है। [पैरा 48] [186-डी-जी]

1.5 धारा 6 में "धारित" अभिव्यक्ति को समझना होगा।

इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति संपत्ति के कब्जे का हकदार है संबंधित अभिलेख में संपत्ति का स्वामी होना या इसलिए भी कि वह उसके कानूनी कब्जे में है।

दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति आय कर अधिकारी, चक्र I (2), कुंभकोणम v. वी. मोहन

संपत्ति को तब भी धारण करना जब वह (प्रासंगिक समय पर)

कथित संपत्ति का कानूनी कब्जा, भले ही वह उसका अभिलिखित मालिक न हो। दोनों ही मामलों में, यह 1976 के अधिनियम की धारा 6 में होने वाली "अभिनिर्धारित" अभिव्यक्ति के दायरे में आने वाला मामला होगा। [पैरा 49] [186-जी; 187-ए-बी]

1.6 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) का तीसरा पहलू यह है कि नोटिस प्राप्तकर्ता या तो स्वयं या किसी के माध्यम से संपत्ति रख सकता है। उसकी ओर से दूसरा व्यक्ति। धारा 6 (1) के तहत प्राथमिक नोटिस केवल उस व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है जिस पर अधिनियम लागू होता है। यदि किसी दोषी या बंदी के रिश्तेदार ने उससे संपत्ति अर्जित की है

गैरकानूनी गतिविधि से प्राप्त या प्राप्त या जिम्मेदार किसी भी आय, आय या संपत्ति से आंशिक रूप से या उसके माध्यम से (चाहे 1976 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में) दोषी या बंदी जो किसी भी मामले से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत प्रतिबंधित है, जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है। [पैरा 50] [187-बी-डी]

1.7 "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की परिभाषा के अनुसार

धारा 3 (1) (सी) में और धारा 2 (2) में "व्यक्ति" जिसके लिए अधिनियम लागू होता है, यदि संपत्ति उसके रिश्तेदार के नाम पर है। अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दोषी या बंदी को धारा 6 (1) के तहत ऐसे व्यक्ति (अभिलिखित मालिक के साथ-साथ कब्जे में) को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है, जो अकेले सबूत के बोझ का निर्वहन कर सकता है और उससे अपेक्षा की जाती है -

1976 के अधिनियम की धारा 8-ताकि सक्षम को हतोत्साहित किया जा सके

ऐसी संपत्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने से प्राधिकरण। वास्तव में, यदि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रिश्तेदार के नाम पर है, लेकिन उसका वास्तविक कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के पास है, जो धारा 2 (2) में दी गई "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे मामले में धारा 6 के तहत प्राथमिक सूचना दोषी या बंदी के रिश्तेदार को जारी की जानी चाहिए और इसकी प्रति "ऐसे अन्य व्यक्ति" को दी जानी चाहिए जो इसके वास्तविक कब्जे में है (भले ही दोषी या बंदी के रिश्तेदार के लिए और उसकी ओर से हो)। इस स्थिति में भी दोषी या बंदी [2021] 12 एस. सी. आर. को नोटिस।

हो सकता है कि यह बहुत कम अनिवार्य न हो। क्योंकि, 1976 का अधिनियम दोषी या बंदी के रिश्तेदार पर भी लागू होता है, जो या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखता है। [पैरा 51] [187-ई-एच]

1.8 धारा 6 (2) केवल "ऐसे अन्य व्यक्ति" को नोटिस जारी करने की आवश्यकता को संदर्भित करती है। अभिव्यक्ति "ऐसा व्यक्ति" है

यह न केवल धारा 6 (1) में पाया गया है, बल्कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों में पाया गया है, जिसमें परिभाषा खंड यानी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की धारा 3 (1) (सी) शामिल है। धारा 6 (2) में आने वाली अभिव्यक्ति "ऐसे व्यक्ति" और "ऐसे अन्य व्यक्ति" को इन शब्दों में समझना होगाः

संदर्भ और वह व्यवस्था जिसमें इसे संबंधित प्रावधान में नियोजित किया गया है। एकर एकटा सामंजस्यपूर्ण संरचना अछि अनिवार्य है। [पारस 52,53] [188-ए-सी]

1.9 धारा 6 (2) के पहले भाग में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए प्राथमिक नोटिस के तहत

धारा 6 (1) को संबोधित किया गया है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 1976 के अधिनियम की धारा 2 (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो सकता है। वह एक दोषी या बंदी, उसका रिश्तेदार या सहयोगी हो सकता है जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल हो। जो संबंधित समय पर विचाराधीन संपत्ति का धारक है। धारा 6 (2) तब सूचना में विषय संपत्ति और संबंधित व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति) द्वारा धारित संपत्ति के तथ्य को संदर्भित करती है-या तो प्राथमिक सूचनाकर्ता जिसे अधिनियम लागू होता है।

विधायी उद्देश्य "ऐसे अन्य व्यक्ति" को शामिल करना है ताकि दोषी/बंदी की "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" तक पहुंचा जा सके और जिस व्यक्ति पर अधिनियम लागू होता है, उसके द्वारा बनाए गए घूंघट को खोल दें/उठाएं। विधायी उद्देश्य उन सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों तक पहुंचना है, जिनके नाम पर उन्हें रखा गया है या जिनके द्वारा भी वे आयकर अधिकारी हैं, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v.

वी. मोहन

इस तरह के अधिग्रहण की समय अवधि की परवाह किए बिना आयोजित किया गया। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिन व्यक्तियों पर अधिनियम धारा 2 (2) में निर्दिष्ट लागू होता है, वे अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई से बचाने के लिए तंत्र का उपयोग नहीं करते हैं। [पैरा 54] [188-सी-एच]

भारत के लिए महान्यायवादी बनाम अमृतलाल प्रजिवंदास

(1994) 5 एससीसी 54: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 2179: [1994] (1)

पूरक। एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

1.10 धारा 6 (2) में नियोजित "ऐसा व्यक्ति" अभिव्यक्ति प्राथमिक नोटिसकर्ता के लिए संदर्भित है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए अधिनियम लागू होता है। यदि, तथापि, सूचना में उल्लेख किया गया है कि

नोटिस में निर्दिष्ट संपत्तियों को नोटिसकर्ता द्वारा अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखा जाता है, जो उस व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के भौतिक कब्जे का मामला हो सकता है, जिस पर अधिनियम लागू होता है। ऐसे मामले में, उप-धारा (2) सक्षम प्राधिकारी को "ऐसे अन्य व्यक्ति" को भी नोटिस जारी करने में सक्षम बनाती है जो अधिनियम की धारा 2 (2) की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। अगर वह व्यक्ति केवल अंदर है संपत्ति का कब्जा और उसके मालिक का नहीं, वह इस तथ्य को समझाने या साबित करने में सक्षम नहीं हो सकता है कि संपत्ति अवैध रूप से नहीं है

प्राथमिक सूचनाग्राही की अर्जित संपत्ति। वास्तव में, यदि "ऐसा अन्य

व्यक्ति "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संबंध में दोषी या बंदी के रिश्तेदार के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर रहा है,

जो धारा 6 (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर पहले इसका मालिक था, वह निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकारी पर यह प्रभाव डाल सकता है कि वह कथित संपत्ति पर पर्याप्त विचार के लिए सद्भावना से खरीदार है। इस तरह की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। [पैरा 55] [189-ए-डी]

1.11 अधिनियम की धारा 4, जो उप-धारा (1) में समान अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-"कोई भी व्यक्ति जिसे यह अधिनियम लागू होता है

स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित कोई संपत्ति-जो अधिनियम की धारा 6 में उपयोग किए गए शब्दों/अभिव्यक्तियों के समान है, उपरोक्त व्याख्या को मजबूत करती है। [पैरा 56] [189-डी-ई]

1.12 इस संबंध में धारा 6 (1) के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

जिन संपत्तियों के लिए सक्षम प्राधिकरण के पास "विश्वास करने के कारणों" को दर्ज करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि संपत्तियां [2021] 12 एस. सी. आर.

दोषी/बंदी द्वारा प्रदान की गई संपत्ति या धन से अर्जित किया गया था। अभिव्यक्ति 'विश्वास करने के कारण' एक वाक्यांश है जिसका उपयोग कई अधिनियमों में किया गया है और इस अदालत द्वारा व्याख्या की गई है कि इसका अर्थ अनुमान और अनुमान पर आधारित 'केवल व्यक्तिपरक संतुष्टि' नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वास है जो 'ईमानदार और उचित आधारों पर आधारित' है। संतुष्टि वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल भावना या आभास पर। आवश्यकता को जानबूझकर केवल संदेह और ढोंग के आधार पर तुच्छ और रोइंग पूछताछ के खिलाफ एक जांच के रूप में कानून बनाया गया है। वैध मानने के कारण होने चाहिए

उन तथ्यों को संदर्भित करें जिनका विश्वास के निर्माण से तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक संबंध है और अधिनियम की धारा 6 के तहत जांच शुरू करने के उद्देश्य से बाहरी या अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए। [पैरा 57] [189-ई-जी; 190-ए]

1.13 उपरोक्त शर्तों पर विश्वास करने और उनकी संतुष्टि के कारणों को दर्ज करना एक महत्वपूर्ण शर्त है -

अनिवार्य रूप से और इसके उल्लंघन के कानूनी परिणाम होंगे। यह एक अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता है, जो एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता के विपरीत, यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो कार्यवाही को प्रभावित करेगा। इसलिए, ऐसे मामलों में, कोई पूर्वाग्रह नहीं होने का प्रश्न अनुपलब्ध है क्योंकि नोटिस जारी करने के लिए और पूर्व शर्त की संतुष्टि के लिए प्रावधान, यानी, "विश्वास करने के कारण", अनिवार्य है और वैकल्पिक या निर्देशिका नहीं है। [पैरा 58] [190-बी]

1.14 अधिनियम की धारा 8 भविष्यवाणी करती है कि जब किसी संपत्ति के संबंध में कार्यवाही धारा 6 के तहत नोटिस के माध्यम से शुरू की जाती है, तो यह साबित करने का बोझ कि संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं की गई है।

प्रभावित व्यक्ति पर होगा। इसलिए, अधिनियम सबूत के बोझ को उलट देता है, लेकिन धारा 6 के तहत नोटिस वैध रूप से जारी होने के बाद ही। धारा 6 के आधार पर, अधिनियमन के लिए सक्षम प्राधिकारी से विश्वास करने के लिए कारण बनाने की आवश्यकता होती है, जो तर्कसंगत होना चाहिए और कुछ सामग्री पर आधारित होना चाहिए जो यह दर्शाता है कि इस न्यायालय द्वारा अमृतलाल प्रजिवंदास में धारा 2 (2) में वर्णित और व्याख्या की गई शर्तें संतुष्ट हैं। धारा 8 प्रारंभिक चरण में लागू नहीं होती है या जब सक्षम प्राधिकारी यह तय करता है कि इसके तहत नोटिस दिया जाए या नहीं।

धारा 6 जारी की जानी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी, केवल धारा 8 पर भरोसा करके, विश्वास करने के कारणों को दर्ज करने के बोझ को उलट नहीं सकता है और धारा आय कर अधिकारी, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v के तहत यांत्रिक रूप से नोटिस जारी कर सकता है।

वी. मोहन

6. क्योंकि, धारा 8 उस स्तर पर लागू नहीं होती है जब सक्षम

प्राधिकरण नोटिस जारी करने के लिए अपने कारणों को तैयार करता है और दर्ज करता है। [पैरा 61] [190-जी; 191-ए-सी]

1.15 उत्तरदाताओं को इसके दायरे में शामिल किया गया है

रिश्तेदार-दोषी के भाई का बेटा और पत्नी होना, जिस पर 1976 का अधिनियम लागू होता है। [पैरा 35] [181-ए]

1.16 एक प्राथमिकता, 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि दोषी या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को प्राथमिक सजा के साथ सेवा देना "अनिवार्य" है।

दोषी के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय उस प्रावधान के तहत नोटिस। निस्संदेह, यदि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर है और उसके कब्जे में भी है, तो वह दोषी का रिश्तेदार है और जो एक व्यक्ति भी है।

जिस पर अधिनियम लागू होता है, उसे दोषी को नोटिस जारी करने या हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा था। क्योंकि, धारा 6 (1) में कहा गया है कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसके पास दागी संपत्ति है और जिसके संपत्ति के प्रस्तावित ज़ब्त होने से प्रभावित होने की संभावना है। तुरंत और सीधे प्रभावित होने वाला व्यक्ति

वह व्यक्ति है जो संपत्ति का अभिलिखित मालिक है और स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उसके कब्जे में है। बाद के मामले में, धारा 8 के तहत सबूत का भार दोषी या बंदी द्वारा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है, जिसके पास अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या तो स्वयं या स्वयं द्वारा है।

उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। [पैरा 64] [192-ई-जी]

उसकी ओर से व्यक्ति "। वह वह व्यक्ति है जिसके लिए अधिनियम लागू होता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रारंभिक भाग में उल्लेख किया गया है। ऐसे मामले में, दोषी या बंदी से धारा 8 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और न ही उसे बुलाया जा सकता है। तदनुसार, यह न्यायालय अब तक वर्णित स्वतंत्र कारणों से केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के पक्ष में झुक सकता है। [पैरा 65] [193-ए-बी]

सजिता और ओआरएस। बनाम। सक्षम प्राधिकारी और अन्य 2005

एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 101; सक्षम प्राधिकारी और

प्रशासक और एन. आर. बनाम मणिलाल जलाल और अन्न। 2013 एससीसी

ऑनलाइन कैल 12911-स्वीकृत।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1.18 विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया जाता है और पक्षों को उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य सभी मुद्दों और दलीलों पर नए सिरे से सुनवाई के लिए भेज दिया जाता है जो दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसके अलावा, यह नहीं समझा जा सकता है कि इस न्यायालय ने उपलब्ध किसी अन्य विवाद पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है।

1.19 सुनवाई के दौरान, एक मुद्दा उठा कि क्या दोषी-वी. पी. की अवधि 19 जनवरी 1994 को धारा 6 के तहत नोटिस जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी। तर्क के समय वकील को तथ्यात्मक स्थिति के बारे में पता नहीं था। हालाँकि, लिखित प्रस्तुतियों में, अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि दोषी वी. पी. की अवधि 19 जनवरी 1994 की धारा 6 के तहत विवादित नोटिस जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी। जो भी हो, तत्काल मामले में, धारा 6 के तहत विचाराधीन संपत्तियां और नोटिस की विषय वस्तु दोनों उत्तरदाताओं के नाम पर हैं और उनके पास हैं। मृतक दोषी वी. पी. के उत्तराधिकारियों द्वारा इन संपत्तियों में किसी भी अधिकार या अधिकार का दावा नहीं किया गया है। यदि संपत्ति मृतक बंदी या दोषी के नाम पर थी, तो अलग-अलग विचार लागू हो सकते हैं। तत्काल मामले के संदर्भ में, क्योंकि दोषी वी. पी. की अवधि 19 जनवरी 1994 को धारा 6 के तहत नोटिस जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी, इसलिए उस पर नोटिस देने की आवश्यकता और आवश्यकता पैदा नहीं होगी। [पारस 68,69] [193-जी-एच; 194-ए-बी]

भारत के लिए महान्यायवादी बनाम अमृतलाल प्रजिवंदास (1994) 5 एस. सी. सी. 54: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 2179: [1994] (1)

पूरक। एस. सी. आर. 1 का अनुसरण किया गया। शोभा सुरेश जुमानी बनाम अपीलीय न्यायाधिकरण, जब्त

संपत्ति और ए. एन. आर. (2001) 5 एससीसी 755: [2001] 3 एससीआर 525; फातिमा मोहम्मद। एलआर के माध्यम से अमीन (मृत)। बनाम भारत संघ और एएनआर।

(2003) 7 एस. सी. सी. 436; असलम मोहम्मद द इनकम टैक्स ऑफ़िसर, CIRCLE I (2), कुम्बाकोना v. वी. मोहन

मर्चेंट बनाम। सक्षम प्राधिकारी और अन्य। (2008) 14

एस. सी. सी. 186 [2008] 10 एस. सी. आर. 332; नजीर अहमद बनाम.

सम्राट आकाशवाणी 1936 पी. सी. 253; चंद्र किशोर झा बनाम।

महावीर प्रसाद और अन्य। (2008) 14 एससीसी 186: [1999] 2

पूरक। एस. सी. आर. 754; मन्नालाल खेतान और अन्य। बनाम केदार

नाथ खेतान और अन्य। (1977) 2 एससीसी 424: [1977] (2)

एस. सी. आर. 190; आशा जॉन दिव्यनाथन बनाम विक्रम मल्होत्रा

& ओआरएस। 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 147; टाटा केमिकल्स लिमिटेड।

वी. सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर

(2015) 11 एससीसी 628: [2015] 7 एस. सी. आर. 132; केवल कृष्ण

वी. पंजाब राज्य ए. आई. आर 1967 एस. सी. 737: [1962] पूरक।

एस. सी. आर. 613; बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम। एम. वी.

दाभोलकर और अन्य। (1976) 2 एससीसी 291 [1976] 2 एससीआर

48 ; एस. नारायणप्पा और अन्य। वी. आय आयुक्त कर, बैंगलोर ए. आई. आर 1967 एस. सी. 523: [1967] एससीआर 590

संदर्भित किया गया।

पी. रामनाथ अय्यर की द मेजर लॉ लेक्सिकन; जी. पी.

सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में, 14 वीं संस्करण, पृष्ठ 430 पर-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2001] 3 एससीआर 525

संदर्भित किया गया है

पैरा

17

पैरा

20

संदर्भित किया गया है

[2008] 10 एससीआर 332

संदर्भित किया गया है

पैरा

20

[1999] 2 पूरक। एससीआर 754

संदर्भित किया गया है

पैरा

22

[1994] (1) पूरक। एससीआर 1

पीछा किया।

पैरा

28,

61

, 63

[1977] (2) एससीआर 190

संदर्भित किया गया है

पैरा

43

[2015] 7 एससीआर 132

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[1976] 2 एससीआर 48

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[1962] पूरक। एससीआर 613

संदर्भित किया गया है

पैरा

57

[1967] एससीआर 590

संदर्भित किया गया है

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं। 8592

8593 2010 से। मद्रास में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.03.2008 से रिट याचिका संख्या। 1149-1150 2001 से।

अमन लेखी, एएसजी, ए. के. श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता। , रुपेश कुमार, एस. ए. हसीब, अदित खुराना, अधिवक्ता। अपीलार्थियों के लिए।

अतुल शंकर विनोद, एम. पी. विनोद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. एम. खानविलकर, जे.

1. इन अपीलों में पहेली यह हैः जब सक्षम प्राधिकारी 1 यह दावा करता है कि (ज़ब्त की जाने वाली) विषय संपत्ति दोषी (वी. पी. सेल्वराजन) की है और प्रत्यक्ष रूप से दोषी (इसमें प्रतिवादी) के रिश्तेदारों के पास है, तो क्या 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत ऐसे दोषी को 1976 के अधिनियम की धारा 6 (2) के तहत उसके रिश्तेदारों को उसकी प्रति के साथ प्राथमिक सूचना देना अनिवार्य है, और दोषी पर ऐसी प्राथमिक सूचना की सेवा न करने से केवल उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्यवाही दूषित हो जाएगी? 2. मद्रास 2 के उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय 3 के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया कि 1976 के अधिनियम की धारा 6 में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि दोषी को प्राथमिक सूचना दी जानी चाहिए, जिसमें दोषी से अपनी आय, आय या संपत्ति के स्रोतों को इंगित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने जब्त की जाने वाली संपत्तियों को अर्जित किया था; और दोषी पर इस तरह के नोटिस की तामील न करने से उसके रिश्तेदारों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई दूषित हो जाएगी, भले ही जब्त की गई संपत्तियां प्रत्यक्ष रूप से रिश्तेदारों द्वारा या उनके नाम पर रखी गई हों। द.

उच्च न्यायालय ने इसमें (सक्षम प्राधिकारी) अपीलार्थियों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि केवल उस व्यक्ति को, जिसके नाम पर संपत्ति है, अपनी आय, आय या संपत्ति के स्रोतों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाने की आवश्यकता है, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की थी, जिसमें वह सबूत भी शामिल है जिस पर वह भरोसा करेगा और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण शामिल हैं। अगर संपत्ति में

1 तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर (संपत्ति की ज़ब्ती) अधिनियम, 1976 (संक्षेप में, "1976 अधिनियम") के तहत

2 संक्षेप में, "मद्रास उच्च न्यायालय" 3 रिट याचिका संख्या में। 1149 & 1150 2008 में एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 244 द इनकम टैक्स ऑफ़िसर, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v.

वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

रिश्तेदारों द्वारा उसके नाम पर या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से प्रश्न किया जाता है, दोषी या बंदी से न तो अपेक्षा की जाती है और न ही उस संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि नोटिस (इसमें प्रतिवादी) के दोषी के रिश्तेदार होने पर कोई पूर्वाग्रह पैदा होने की संभावना नहीं है, जिन्होंने अपने नाम पर जब्त की गई संपत्तियों को रखा था। उच्च न्यायालय ने राय दी कि सक्षम प्राधिकरण द्वारा प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को दोषी को नोटिस नहीं दिए जाने के कारण दूषित कर दिया गया था और यह

इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रत्यर्थियों के खिलाफ शुरू की गई पूरी कार्रवाई को दरकिनार करते हुए खुशी हुई।

3. कम से कम दो अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण लिया गया है। साजिता एंड ओआरएस में केरल उच्च न्यायालय का पहला मामला है। बनाम। सक्षम।

प्राधिकरण और Ors.4 जिसमें प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद, इसने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

किसी भी संपत्ति के किसी भी धारक को जो पहले किसी भी समय थी खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा धारित। जब हम धारा 2 (2) (ई) के साथ धारा 6 (1) और 6 (2) को पढ़ते हैं तो यह होता है -

स्पष्ट है कि धारा 6 (2) के तहत विचार की गई सूचना

यदि संपत्ति नाम पर नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति

बंदी का। जहाँ तक इस मामले का संबंध है, संपत्ति

पत्नी और भाइयों के नाम पर खड़ा है। मान लीजिए कि धारा के तहत उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं।

6 (1) . हमारा विचार है कि बंदी को नोटिस जारी नहीं किया जाएगा।

अपने रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही को दूषित नहीं करेंगे।

12. याचिकाकर्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि छह साल से अधिक समय बीत चुका है और उचित अवधि के भीतर कार्यवाही शुरू नहीं की गई है। अधिनियम के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। भारत के महान्यायवादी बनाम में सर्वोच्च न्यायालय। 'अमृतलाल प्रजिवंदास' ने अधिनियम के दायरे और दायरे पर चर्चा की है जिसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि हम केसर देवी बनाम मामले में शीर्ष अदालत के हालिया फैसले का उल्लेख कर सकते हैं। भारत संघ। शीर्ष अदालत ने अधिनियम की धारा 2 (2) (सी) पर विचार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा है कि साबित करने का बोझ

4 2005 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 101 5 (1994) 5 एस. सी. सी. 54: ए. आई. आर 1994 एस. सी. 2179 6 (2003) 7 एस. सी. सी. 427 [2021] 12 एस. सी. आर.

कि ऐसी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है

जिस व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है। तथ्यों के बारे में

याचिकाकर्ता यह स्थापित नहीं कर सके कि संपत्तियां कानूनी रूप से थीं

अर्जित किया। सक्षम प्राधिकारी और न्यायाधिकरण ने समवर्ती रूप से पाया

तो और रिट अधिकार क्षेत्र में यह न्यायालय एक लेने में उचित नहीं होगा किसी भी विपरीत साक्ष्य के अभाव में एक अलग दृष्टिकोण। हम.

इसलिए सक्षम द्वारा पारित आदेशों में कोई कमजोरी नहीं मिलती है।

प्राधिकरण। रिट याचिका में गुण-दोष का अभाव है और वही रहेगा। खारिज कर दिया गया "।

(जोर दिया गया)

दूसरा निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय का है।

पेटेंट प्राधिकरण और प्रशासक और ए. एन. आर. बनाम मणिलाल जलाल और

. इस मामले में भी केवल बंदी की पत्नी को ही नोटिस जारी किया गया था

हिरासत में लेने के लिए। इस प्रश्न को विशेष रूप से संबोधित किया गया था उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद

एसः

.....

अधिनियम न केवल बंदी पर बल्कि संबंधों पर भी लागू होता है और/या ऐसे बंदी के सहयोगी। कहीं नहीं कहा गया

कानून का प्रावधान अनिवार्य करता है कि एक के खिलाफ एक कार्यवाही

एक बंदी के रिश्तेदार को केवल तभी शुरू किया जा सकता है जब ऐसा बंदी है

SAFEMA के तहत आगे बढ़े। आगे बढ़ने का ऐसा अधिकार

रिश्तेदार/सहयोगी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से स्वतंत्र है SAFEMA के तहत बंदी के खिलाफ लिया गया। यह पूरी तरह से

यह तर्क देना गलत है कि बंदी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए

ऐसे बंदी के किसी रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई। सम्पत्तियाँ और / या जिन परिसंपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई थी वे खड़ी थीं

खुद सरबानी देवी जालान के नाम पर और इसलिए

प्रतिवादी अधिकारियों ने धारा के तहत एक नोटिस जारी किया

6 इस उद्देश्य के लिए उस पर "प्रभावित व्यक्ति" के रूप में अधिनियम

एक बंदी के संबंध का जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जाती है खिलाफ बंदी पर एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता होनी चाहिए

भी। ऐसी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए जब वही नहीं है कानून में प्रदान किया गया वैधानिक को फिर से लिखने के बराबर होगा

प्रावधान जो अनुचित हो। यह प्रस्तुतिकरण

इसलिए अपीलकर्ताओं को निराधार होने के कारण विफल होना चाहिए।

99

(जोर दिया गया)

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इन अपीलों में न केवल प्रश्न शामिल हैं

1976 के अधिनियम के अन्य प्रावधानों के साथ पठित धारा 6 की व्याख्या के संबंध में, लेकिन हमें उक्त प्रश्न को आधिकारिक रूप से स्पष्ट करने और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को हल करने का भी आह्वान करता है।

5. वर्तमान मामले के तथ्यों पर लौटते हुए, एक वी. पी. सेल्वराजन

(दोषी)-प्रतिवादी संख्या 2 के बहनोई और प्रतिवादी संख्या 1 के चाचा को सीमा शुल्क अधिनियम, 19628 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपनी दोषसिद्धि के परिणामस्वरूप, वह विशेष रूप से 1976 के अधिनियम-धारा 2 में आने वाली अभिव्यक्ति "व्यक्ति" या "ऐसा व्यक्ति" के दायरे में आ गया। स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 2 (2) के संदर्भ में दोषी के रिश्तेदार होने के नाते उत्तरदाता भी 1976 के अधिनियम में परिभाषित अभिव्यक्ति "व्यक्ति" के दायरे में आते हैं, जिन पर अधिनियम लागू होता है।

6. 1976 का अधिनियम 5.11.1975 से लागू हुआ,

जिसके अनुसार अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम की धारा 18 के तहत जांच, जांच या सर्वेक्षण का सहारा लिया और

एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर यह मानने का कारण था कि कुछ संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं जिनका अवैध रूप से संबंध है।

दोषी की गतिविधियाँ। नतीजतन, 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत दोषी को 2.2.1980 पर एक नोटिस जारी किया गया था। वर्तमान अपीलों में, हम उक्त नोटिस या उस मामले में दोषी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों से संबंधित नहीं हैं।

7. तथापि, सक्षम प्राधिकारी सूचना के आधार पर

1976 के अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) के अर्थ के भीतर संपत्तियाँ। तदनुसार, 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 वी. मोहन को नोटिस जारी किया गया था, जो दोषी का

भतीजा है और उसे अपनी आय, आय के स्रोतों का खुलासा करने के लिए कहा गया था। 8 संक्षेप में, "1962 अधिनियम" [2021] 12

सेट, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने प्राप्त किया था

कथित सूचना में स्वयं निर्दिष्ट नियतियाँ। डी. एस. सी. आर. संपत्तियों को अनुसूची में दिया गया था, जिसमें लिखा है-थू

" अनुसूची

. नहीं।

संपत्ति का विवरण

का नाम

वर्तमान एच

संपत्ति का

1

2

3

1 .

मेसर्स वी. पी. वी. फर्म में निवेश।

ज्वैलरी मार्ट, कुंभकोणम

स्वामित्व संबंधी चिंता में निवेश

2 .

मेसर्स वी. पी. वी. गोल्ड पैलेस कुंभकोणम

के रूप में आवासीय संपत्ति

3 .

No.113, सारंगपानी ईस्ट स्ट्रीट, कुंभकोणम

कृषि भूमि-1 एकड़ और 8 सेंट

4 .

दक्षिण पट्टम, पगनसम तालुक

1 थेप्पेरुमल में एकड़ और 75 सेंट

-नल्लूर गाँव "।

8. इसी तरह, 28.2.1994 दिनांकित एक नोटिस जारी किया गया था

नवथी, प्रत्यर्थी संख्या 2 यहाँ सह के रिश्तेदार होने के नाते

कथित रूप से उक्त सूचना में निर्दिष्ट संपत्तियों का उल्लेख

वायर्ड गुण। अनुसूची इस प्रकार है:

" अनुसूची

संपत्ति का विवरण

का नाम

. नहीं।

वर्तमान पकड़

संपत्ति का

1

2

3

आवासीय घर जिसमें भूमि शामिल हो।

वी. पद्मावत

1 .

और No.123 पर निर्माण। बिग स्ट्रीट, कुंभकोणम।

थेप्पुमलनल्लूर में कृषि भूमि

2 .

-करें।

निर्दिष्ट अनुसार कुंभकोणम का गाँव

नीचे।

-करें।

3 .

मेसर्स वी. पी. वी. की फर्म में निवेश। प्रेमा ज्वैलरी, कुंभकोणम।

स्वैच्छिक के तहत आभूषणों का खुलासा

-करें।

4 .

प्रकटीकरण योजना (यानी) 518 ग्राम सोना

और 28 ईटीएस।

हीरे का "। आय कर अधिकारी, क्रम I (2), कुम्बकोनम v. वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

9. सक्षम प्राधिकारी को अवसर देने के बाद

उत्तरदाताओं ने अंततः 30.4.1998 पर अलग-अलग ज़ब्ती आदेश पारित किए। श्रीमती के खिलाफ। 1976 के अधिनियम की धारा 7 (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए वी. पद्मावती, प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 1 पर वी. मोहन, प्रत्यर्थी संख्या 1 के खिलाफ। इसने अभिनिर्धारित किया कि उल्लिखित संपत्तियों को ज़ब्त करने का आदेश अपरिहार्य हो गया था क्योंकि प्रतिवादी (ओं) किसी भी प्रकार की संपत्ति को प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।

यह साबित करने के लिए विश्वसनीय साक्ष्य या स्पष्टीकरण कि विवादित नोटिस में निर्दिष्ट संपत्तियां उनके द्वारा कानूनी रूप से अर्जित संपत्तियां थीं।

जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली-II, शिविर के समक्ष F.P.A.No.32/एम. डी. एस./98 (प्रतिवादी संख्या 1 का): बैंगलोर। इन अपीलों को अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 15.11.2000 के सामान्य आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया। परिणामस्वरूप, विषय संपत्तियों को ज़ब्त करने का आदेश पारित किया गया सक्षम प्राधिकारी द्वारा बरकरार रखा गया था।

11. इसके बाद प्रत्यर्थियों ने 2001 की रिट याचिका No.1149 (प्रत्यर्थी की) के माध्यम से मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष मामले को उठाया।

सं. 1) और 2001 की रिट याचिका (प्रत्यर्थी सं. 2 की)। इन दोनों रिट याचिकाओं को मद्रास उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 के सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा अनुमति दी गई, जिसमें यह विचार रखा गया कि प्रतिवादियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई वी. पी. सेल्वराजन (दोषी) को नोटिस की कमी के कारण दूषित हो गई थी, जो इसके विचार में 1976 के अधिनियम की धारा 6 के तहत अनिवार्य आवश्यकता थी।

12. अपीलार्थी, उक्त निर्णय से व्यथित होकर, वर्तमान अपीलों के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इसके अनुसार

अपीलार्थियों, मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा 1976 के अधिनियम की धारा 6 की व्याख्या पर विवादित निर्णय के माध्यम से लिया गया दृष्टिकोण असमर्थनीय है।

उनके द्वारा या तो स्वयं या उनकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित संपत्तियों को अधिनियम के अर्थ के भीतर अवैध रूप से अर्जित किया जा रहा है और अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जब्त करने का प्रस्ताव है। इसके लिए दोषी या बंदी को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9
संक्षेप में, "अपीलीय न्यायाधिकरण" [2021] 12 एस. सी. आर.

मामला हो सकता है, यदि संपत्ति उसके पास या उसके नाम पर नहीं है। वास्तव में, यदि विचाराधीन संपत्तियां उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर हैं, तो ऐसे व्यक्ति को नोटिस देना आवश्यक है। इस निवेदन को पुष्ट करने के लिए, धारा 2 (2) में निर्दिष्ट व्यक्तियों पर अधिनियम को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 2 पर निर्भरता रखी गई है। दोषी के भाई का पति/पत्नी और साथ ही दोषी के भाई का बेटा जैसा कि 1976 के अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 में स्पष्ट किया गया है, दोषी स्पष्ट रूप से "रिश्तेदार" अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है और इस कारण से, अधिनियम उत्तरदाताओं पर भी लागू होता है। विशेष रूप से 1976 के अधिनियम की धारा 6 में आने वाली "अभिगृहीत" अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है, जो पी. रामनाथ अय्यर के द मेजर लॉ लेक्सिकन में परिभाषा के संदर्भ में (i) संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार; और (ii) उन लोगों को शामिल करेगी जो इसके कब्जे में हैं।

14. यह आग्रह किया जाता है कि प्रत्यर्थियों के पास अपने नाम पर संपत्तियां थीं और इस प्रकार, वे ऐसी संपत्ति पर कब्जा करने के हकदार थे और वास्तव में वे उसके भौतिक कब्जे में थे। इसलिए, उनसे ही स्पष्टीकरण देने और यह साबित करने का बोझ उठाने की अपेक्षा की जाती थी कि संपत्तियां उनकी कानूनी रूप से अधिग्रहित संपत्तियां हैं। वे, वास्तव में, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित व्यक्ति थे

ज़ब्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई और इसलिए, धारा 6 के तहत नोटिस केवल उत्तरदाताओं को जारी किया जाना आवश्यक था। धारा 6 में ऐसा कोई आदेश नहीं है कि मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उल्लिखित आय के स्रोतों को इंगित करने के लिए दोषी को प्राथमिक सूचना दी जाए।

इसके अलावा, दोषी से अपने रिश्तेदारों द्वारा रखी गई संपत्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण देने की अपेक्षा नहीं की जाती है, न कि उसके द्वारा।

भले ही जब्त करने के लिए प्रस्तावित संपत्ति संबंधित समय पर उसके पास न हो, दोषी को नोटिस। यह एक अलग मामला है कि दोषी को नोटिस भी जारी किया जा सकता है, लेकिन यह एक अनिवार्य आवश्यकता नहीं है जब जब्त की जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियों को उसके रिश्तेदारों द्वारा रखा गया था। संबंधित समय पर दोषी ठहराया जाता है जब कार्रवाई शुरू की जाती है।

16. अपीलकर्ताओं ने केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है जिनका उल्लेख पहले किया गया था। में।

इसके अलावा, अमृतलाल प्रजिवंदास में इस न्यायालय की संविधान पीठ के कथन पर भी निर्भरता रखी गई है, जिसने

10 4 संस्करण, खंड।

3 फुटनोट संख्या 5 पर पृष्ठ 3050-51 11 सुप्रा पर आय कर कार्यालय, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v. वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियमन की संवैधानिक वैधता के बारे में तर्क को अस्वीकार करते हुए विधान का इरादा और सभी प्रासंगिक प्रावधान। यह माना गया कि

यह स्थापित करने का भार कि दोषी या बंदी के किसी रिश्तेदार या सहयोगी द्वारा उस तारीख को धारित धारा 6 की सूचना में उल्लिखित संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां नहीं हैं, ऐसे रिश्तेदार या सहयोगी। इसके अलावा, इस अधिनियम का उद्देश्य संपत्तियों की जांच करने के सभी प्रयासों को विफल करना है, भले ही रिश्तेदार/सहयोगी संपत्ति (चाहे बेनामी हो या नाम-ऋणदाता के रूप में या हस्तांतरणकर्ता के माध्यम से) कैसे रखते हैं और जिसमें उक्त रिश्तेदार/सहयोगी यह खुलासा नहीं कर सकता है कि संपत्तियों को किसी बंदी/दोषी से संबंधित धन या संपत्ति के साथ अधिग्रहित नहीं किया गया है, लेकिन बोझ का निर्वहन करने में विफलता किसी भी व्यक्ति पर प्रतिबंध होने के कारण उनके ज़ब्त होने को उचित ठहराएगी, जिसके लिए अधिनियम अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्तियों को रखने से लागू होता है।

17. रिलायंस को शोभा सुरेश जुमानी बनाम अपीलीय न्यायाधिकरण, ज़ब्त संपत्ति और Anr.[1]2 में भी इस कथन पर रखा गया है, जिसमें बंदी सुरेश मनोहरलाल जुमानी और उनकी पत्नी शोभा सुरेश जुमानी को धारा 6 के तहत कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया था। शोभा सुरेश जुमानी द्वारा अपील दायर करने के अधिकार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सवाल उठाया गया था। फिर भी, इस अदालत ने बंदी के रिश्तेदार (पत्नी) के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई को बरकरार रखा क्योंकि संपत्तियां उसके पास थीं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाए और केरल उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण की पुष्टि की जाए।

यह आग्रह किया जाएगा कि अपीलकर्ताओं ने पूरे समय उत्तरदाताओं के खिलाफ इस धारणा पर कार्रवाई की थी कि उत्तरदाता केवल प्रत्यक्ष मालिक हैं और विचाराधीन संपत्तियां, वास्तव में, दोषी की हैं। इसके अलावा, प्रतिवादी दोषी की ओर से विषय संपत्तियों को धारण कर रहे थे। उस संदर्भ में, मद्रास उच्च न्यायालय ने धारा 6 के उद्देश्य और उसमें दो उप-धाराओं की परस्पर क्रिया की जांच की - यह निष्कर्ष निकालते हुए कि दोषी को प्राथमिक सूचना ऐसी तथ्य स्थिति में एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अब, वर्तमान अपीलों में, अपीलकर्ताओं ने एक पूरी तरह से अलग स्थिति ली है, अर्थात्, प्रतिवादी वास्तव में, विषय संपत्तियों के अभिलिखित मालिक हैं और इसलिए, दोषी को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।

19. उत्तरदाताओं ने 1976 के अधिनियम की धारा 2 में "व्यक्तियों" की परिभाषा और स्पष्टीकरण 2 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। यह भी है

1 2 12 (2001) 5 एस. सी. सी 755 [2021] 12 एस. सी. आर.

आग्रह किया कि प्रत्यर्थियों को जारी किए गए विवादित नोटिसों में संदर्भित संपत्तियों को दोषी को 2.2.1980 पर जारी की गई धारा 6 के तहत नोटिस का विषय नहीं बनाया गया था। दूसरे शब्दों में, प्रतिवादियों को जारी किए गए विवादित नोटिसों में निर्दिष्ट संपत्तियों के संबंध में दोषी को कभी कोई नोटिस नहीं दिया गया था क्योंकि यह उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति थी।

20. वास्तव में, प्रत्यर्थियों द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि धारा 6 (1) में कहा गया है कि जब किसी रिश्तेदार को नोटिस जारी किया जाता है, तो विभाग पर आरोप लगाना और संपत्तियों के बीच सांठगांठ स्थापित करना अनिवार्य है।

रिश्तेदार को ज़ब्त करने की मांग की गई और दोषी या बंदी। इसमें, जब्त की गई संपत्तियों का पता दोषी या बंदी की आय, आय या संपत्ति के अवैध स्रोतों से लगाया जाना चाहिए। दोषी या बंदी के रिश्तेदार या सहयोगी की व्यक्तिगत संपत्तियों, जिनका दोषी या बंदी के साथ कोई संबंध नहीं है, को 1976 के अधिनियम के तहत ज़ब्त करने का विषय नहीं बनाया जा सकता है जैसा कि अमृतलाल प्रजीवंदास 1 3; केसर देवी 1 4; फातिमा मोहम्मद में माना गया है। एलआर के माध्यम से अमीन (मृत)। बनाम भारत संघ और असलम मोहम्मद मर्चेंट बनाम। सक्षम प्राधिकारी & Ors.[1]6।

21. इसके बाद यह आग्रह किया जाता है कि संपत्ति के बीच संबंध या संबंध की पुष्टि किए बिना विषय संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा सकता है।

उक्त संपत्तियों का अधिग्रहण ऐसे दोषी के धन से किया गया था। वास्तव में, प्रत्यर्थियों ने अधिकारियों के समक्ष यह स्थापित करने के लिए प्रचुर सामग्री प्रस्तुत की थी कि विचाराधीन संपत्तियां वास्तव में, उनके द्वारा अपनी व्यावसायिक आय, उपहार आदि से खरीदी गई व्यक्तिगत संपत्तियाँ। प्रत्यर्थियों द्वारा इस प्रकार की गई याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है।

13 फुटनोट संख्या 5 (पैरा 44) 14 फुटनोट संख्या 6 (पैरा 11 और 12) 15 (2003) 7 एस. सी. सी. 436 (पैरा 7 से 9) 16 (2008) 14 एस. सी. सी. 186 (पैरा 45)

22. यह आग्रह किया जाता है कि न तो सक्षम प्राधिकारी और न ही

अपीलीय न्यायाधिकरण ने इस बात को ध्यान में रखा कि ऐसा कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह माना जाता है कि

उत्तरदाताओं को अवैध रूप से अर्जित किया गया था। नज़ीर में उक्ति पर भरोसा करना

अहमद बनाम सम्राट और चंद्र किशोर झा बनाम महावीर प्रसाद और Ors.[1]8, यह आग्रह किया जाता है कि जब कोई क़ानून किसी विशेष तरीके से कुछ करने का प्रावधान करता है तो उसे अकेले उसी तरीके से किया जाना चाहिए और किसी अन्य तरीके से नहीं। जबकि, सक्षम प्राधिकरण 1976 के अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित विश्वास करने के लिए उचित कारणों को दर्ज करने में विफल रहा।

23. तब यह तर्क दिया जाता है कि अत्यधिक और अनुचित देरी के कारण, कार्यवाही मनमानेपन के दुष्प्रभाव से ग्रस्त होती है और

अविवेकीपन। उसमें, दोषी को 1962 के अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए 23.11.1969 पर दोषी ठहराया गया था। प्रत्यर्थियों से संबंधित संपत्तियों का अधिग्रहण 1959 से 1980 के बीच किया गया था।

जबकि, विवादित नोटिस 19.1.1994 और 28.2.1994 पर जारी किए गए थे। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर कहा गया है, दोषी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही में और न ही 2.2.1980 पर उसे जारी किए गए नोटिस में उल्लिखित संपत्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है। 25 वर्षों के बाद नोटिस जारी करने में देरी के बारे में सक्षम प्राधिकरण से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है या उत्तरदाताओं से उन निधियों के स्रोतों के बारे में स्पष्टीकरण देने और जवाब देने के लिए कहा गया है जिनसे उनके द्वारा विचाराधीन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है। यह न केवल अनुचित है, बल्कि अव्यावहारिक भी है और उचित समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है। अब 25 साल की और अवधि समाप्त हो गई है। इस प्रकार, इस दूरी पर पूरी कार्यवाही को फिर से खोलना और फिर से निर्णय लेना न केवल अन्यायपूर्ण होगा, बल्कि इसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं और उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्तियों को गंभीर अपूरणीय क्षति और चोट भी पहुंचेगी।

उच्च न्यायालय का विचार था कि दोषी को प्राथमिक सूचना दिए बिना उत्तरदाताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पूरा मामला दूषित हो गया था। कार्यवाही। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले के पैराग्राफ 21 में अधिकारियों को कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने के लिए खुला छोड़ दिया था, जिसे अपीलकर्ताओं ने नहीं चुना है।

17 ए. आई. आर 1936 पी. सी. 253 18 (1999) 8 एससीसी 266 [2021] 12 एस. सी. आर.

इस तथ्य के बावजूद कि इस न्यायालय द्वारा उस संबंध में कोई अंतरिम रोक नहीं दी गई थी।

25. हमने श्री अमन लेखी, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर को सुना है।

भारत के जनरल, श्री ए. के. श्रीवास्तव, अपीलार्थियों के वरिष्ठ वकील और श्री अतुल शंकर विनोद, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील थे।

26. इससे पहले कि हम विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करने के लिए आगे बढ़ें

1976 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में, 1976 के अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी इरादे पर ध्यान देना आवश्यक है। यह अधिनियम की प्रस्तावना से समझा जा सकता है और इस न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा अमृतलाल प्रजिवंदास 1 9 में भी विस्तृत रूप से निपटा जा सकता है।

27. 1976 के अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार हैः

" अवैध रूप से अर्जित वस्तुओं को ज़ब्त करने के लिए एक अधिनियम

तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर करने वालों की संपत्तियाँ और

उससे जुड़े या उससे प्रासंगिक मामलों के लिए।

जहाँ तस्करी गतिविधियों की प्रभावी रोकथाम के लिए

और विदेशी मुद्रा में हेरफेर जो हानिकारक हैं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यक्तियों को वंचित करना आवश्यक है

इस तरह की गतिविधियों में संलग्न होना और अपने गलत तरीके से अर्जित लाभों में हेरफेर करना;

और जहाँ से ऐसे व्यक्ति इस तरह की वृद्धि कर रहे हैं

धन-कर, आय-कर या अन्य कानूनों के उल्लंघन से या

अन्य साधन और इस प्रकार अपने संसाधनों को बढ़ा रहे हैं

गुप्त तरीके से काम करने के लिए;

और जहाँ ऐसे व्यक्तियों ने कई मामलों में किया है

इस तरह के लाभ के माध्यम से उनके द्वारा अर्जित संपत्तियों को धारण करना अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों और विश्वासपात्रों के नाम पर;

(जोर दिया गया)

28. इस न्यायालय ने विधायी इरादे पर विस्तार से विचार किया। यह भी।

1976 के अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया गया जो विधायी इरादे को मजबूत करेंगे। "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" की परिभाषा से निपटने के दौरान (पुनः: पैराग्राफ 43 में प्रश्न संख्या 4), इसने देखा था कि बताई गई अभिव्यक्ति काफी विस्तृत है। यह न केवल अधिनियम के बाद अधिग्रहित संपत्ति को अपने दायरे में लेता है, बल्कि अधिनियम से पहले अधिग्रहित संपत्ति को भी अपने दायरे में लेता है, चाहे जो भी समय हो। दूसरा, यह संपत्ति में लेता है

19 फुटनोट सं. 5 पर सुप्रा आय कर कार्यालय, क्रम I (2), कुम्बकोणम v. वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जो आंशिक रूप से अवैध गतिविधि से अर्जित किया गया हो सकता है, जिस मामले में, निश्चित रूप से, धारा 9 का प्रावधान आकर्षित किया जाएगा। इसके अलावा, अवैध गतिविधि 1976 के अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित कानूनों के उल्लंघन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी कानूनों के उल्लंघन तक सीमित है, जिन्हें लागू करने की संसद को शक्ति है। ऐसा करना, जैसे कि यदि किसी तस्कर ने कर कानूनों से बचकर या चोरी, डकैती, डकैती, गबन या भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य लागू कानून द्वारा निषिद्ध कोई अन्य अवैध गतिविधि करके कुछ संपत्ति अर्जित की है। वह सब जो ज़ब्त होने योग्य होगा।

29. संविधान पीठ ने अनुचितता, मनमानेपन या उस मामले के लिए संविधान के भाग III से संबंधित किसी भी आधार पर उपलब्ध नहीं होने के आधार पर "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की विस्तृत परिभाषा को चुनौती दी। संविधान पीठ ने तब इस प्रकार टिप्पणी कीः

" प्रश्न संख्या 4

43. ..... हम इस तथ्य पर ध्यान दे सकते हैं कि इसमें शामिल व्यक्ति

तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर ऐसी गतिविधि या इसकी आय या उससे अर्जित परिसंपत्तियों के संबंध में नियमित और उचित खाते नहीं रखते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त होता है, तो स्थिति अलग नहीं होगी। विदेशी मुद्रा कानूनों और निर्यात और आयात से संबंधित कानूनों का उल्लंघन

अनिवार्य रूप से कर कानूनों का उल्लंघन शामिल है। वास्तव में, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पिछले कुछ दशकों में तस्करी,

विदेशी मुद्रा का उल्लंघन, कर चोरी, मादक पदार्थ और अपराध सभी मिश्रित हो गए हैं। करों की चोरी इस तरह की गतिविधि का अभिन्न अंग है। किसी भी प्राधिकरण के लिए यह कहना मुश्किल होगा कि किसी भी खाते या अन्य प्रासंगिक सामग्री के अभाव में

एक तस्कर द्वारा अर्जित संपत्तियों में से कौन सी

या उनमें से कौन से हिस्से तस्करी और विदेशी मुद्रा के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं और कौन सी संपत्तियां या उनके कौन से हिस्से अन्य कानूनों के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार हैं (जो संसद को बनाने की शक्ति है)। संभवतः इसी कारण से यह साबित करने का भार संबंधित व्यक्ति पर डाला जाता है कि कारण दर्शाओ नोटिस में निर्दिष्ट संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां नहीं हैं। हो सकता है कि यह एक ऐसा मामला हो जहाँ एक खतरनाक बीमारी के लिए एक कट्टरपंथी उपचार की आवश्यकता होती है। कड़वी दवा बुरी दवा नहीं है। कानून के अनुसार यह

यह कहना संभव नहीं है कि परिभाषा मनमाना है या अनुचित रूप से व्यापक शब्दों में है। इसके अलावा, स्पष्ट और [2021] 12 एस. सी. आर. को देखते हुए।

धारा 3 के खंड (ग) में प्रयुक्त असंदिग्ध भाषा है -

पढ़ने के उपकरण का सहारा लेना संभव या अनुमत नहीं है।

उक्त उपकरण का उपयोग आमतौर पर किसी प्रावधान को होने से बचाने के लिए किया जाता है।

असंवैधानिक, अक्षम और अधिकार से बाहर घोषित। हम हैं,

इसलिए, यह राय कि न तो की संवैधानिक वैधता

उक्त परिभाषा पर सवाल उठाया जा सकता है और न ही इसके लिए कोई वारंट है

जहाँ तक ऐसे प्रावधान के औचित्य का संबंध है, वहाँ पर्याप्त है और अधिक। आखिरकार, ये सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां

अवैध और भ्रष्ट तरीकों से अर्जित और अर्जित किए जाते हैं

जनता और राज्य की लागत। राज्य वंचित है उस सीमा तक उसके वैध राजस्व का। ये गुण

न्यायसंगत रूप से वापस जाना चाहिए जहाँ वे राज्य के हैं। .....

(जोर दिया गया)

30. यह कहने के बाद कि धारा के दायरे से निपटने के दौरान

अधिनियम के बारे में न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

" प्रश्न संख्या 5

44. याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि

रिश्तेदारों, सहयोगियों और अन्य लोगों के लिए SAFEMA के प्रावधान

' धारक फिर से अतिव्यापी या अति-चौड़ाई का मामला है, क्योंकि यह

इसे अत्यधिक विनियमन का मामला कहा जा सकता है। इसे प्रस्तुत किया जाता है।

कि खंड के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के रिश्तेदार या सहयोगी (ए) या सेफेमा की धारा 2 (2) के खंड (बी) ने अधिग्रहण किया होगा।

उनकी अपनी संपत्तियाँ, अवैध माध्यमों से हो सकती हैं लेकिन कोई नहीं है

एस. ए. एफ. ई. एम. ए. के तहत उन संपत्तियों को जब्त करने का कारण क्योंकि वे बंदी से संबंधित हैं या उनके सहयोगी हैं या

दोषी, जैसा भी मामला हो। यह बताया गया है कि की परिभाषा

' स्पष्टीकरण (2) में 'संबंधी' और स्पष्टीकरण (3) में 'सहयोगी'

इतने चौड़े होते हैं कि किसी व्यक्ति को दूर से संबंधित या SAFEMA के जाल के भीतर दोषी/बंदी से जुड़े,

और एक बार जब वह जाल में आ जाता है, तो उसकी सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियाँ अधिनियम के तहत ज़ब्त किया जा सकता है। हमारी राय में, उक्त

विवाद एक गलत धारणा पर आधारित है। सेफेमा है

अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का निर्देश

धारा के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाले व्यक्ति का

यह सुनिश्चित करने का उद्देश्य कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियाँ दोषी या बंदी का, जो उनके नाम से अर्जित या रखा गया है, ई आय कर अधिकारी, आदेश I (2), कुंभकोणम V.

वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम के जाल से न बचें। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि

अवैध गतिविधियों में लिप्त व्यक्ति संपत्तियों की जांच करते हैं।

उनके नाम पर इस तरह की अवैध गतिविधि से प्राप्त

रिश्तेदार और सहयोगी। कभी-कभी वे इस तरह से स्थानांतरण करते हैं

उनके लिए गुण, हो सकता है, हस्तांतरण करने के इरादे से

स्वामित्व और शीर्षक। वास्तव में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे सापेक्ष है। या सहयोगी दोषी/बंदी की संपत्ति रखता है

चाहे बेनामी के रूप में हो या केवल नाम-ऋणदाता के रूप में या बोना के रूप में।

मूल्य के लिए या किसी अन्य तरीके से प्रत्यर्पणकर्ता। वह नहीं कर सकता।

उन संपत्तियों का दावा करें और उन्हें राज्य को सौंप दें

अधिनियम के तहत। चूँकि वह एक रिश्तेदार या सहयोगी है, जैसा कि परिभाषित किया गया है

अधिनियम द्वारा, वह किसी भी बचाव को एक बार आगे नहीं बढ़ा सकता है साबित किया कि वह संपत्ति बंदी द्वारा अधिग्रहित की गई थी -

चाहे वह अपने नाम से हो या अपने रिश्तेदारों के नाम से और

सहयोगी। यह उन कई उपकरणों का मुकाबला करने के लिए है जो हैं या खंड (क) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है और

(ख) धारा 2 (2) के अनुसार उनके रिश्तेदार और सहयोगी

उक्त उप-धारा के खंड (ग) और (घ) में उल्लिखित हैं -

इसे भी अधिनियम के दायरे में लाया गया। उनके तथ्य दोषी/बंदी की संपत्तियों को धारण करना या रखना

दोषी/बंदी और उसके बीच संबंध प्रस्तुत करता है

रिश्तेदार और सहयोगी। केवल दोषी की संपत्तियाँ /

बंदी जहां भी हों, उन्हें ज़ब्त करने की कोशिश की जाती है। द.

विचार यह है कि वे जिस किसी के भी नाम पर अपनी संपत्तियों तक पहुँचें

उन्हें रखा जाता है या जिसे भी वे पकड़े जाते हैं। स्वतंत्र

रिश्तेदारों और दोस्तों की संपत्तियाँ, जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है

दोषी/बंदी को, न तो ज़ब्त करने की मांग की जाती है और न ही

क्या वे SAFEMA * के दायरे में हैं? हम आगे बढ़ सकते हैं।

हम जो कहते हैं उसे समझाने के लिए। खंड (ग) एक के रिश्तेदार की बात करता है खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति

एक दोषी या एक बंदी)। इसी तरह, खंड (डी) की बात करता है

ऐसे दोषी या बंदी के सहयोगी। अगर हम देखते हैं

यह अधिनियम का उद्देश्य था जो प्रस्तावना के पैरा 4 से स्पष्ट है जो

" और जबकि ऐसे व्यक्तियों के पास कई मामलों में संपत्तियां हैं

अपने रिश्तेदारों, सहयोगियों के नाम पर इस तरह के लाभ के माध्यम से उनके द्वारा लाल

विश्वासघाती "। हम यह नहीं कह रहे हैं कि प्रस्तावना का उपयोग इसके लिए किया जा सकता है

अधिनियम के दायरे को देखते हुए, हम केवल उद्देश्य का पता लगाने के लिए इसका उल्लेख कर रहे हैं

अधिनियम बनाना और खुद को आश्वस्त करना कि निर्माण हमारे द्वारा किया गया है

उक्त वस्तु के साथ ds।

(जोर दिया गया)

खंड (घ) में मामला अधिक स्पष्ट हो जाता है। सहयोगी (i) कोई भी व्यक्ति जो राज्य में रह रहा था या रह रहा है। मतलब

ऐसे व्यक्ति के आवासीय परिसर (आउटहाउस सहित) ['ऐसा व्यक्ति' खंड (ए) या खंड (बी) में निर्दिष्ट दोषी या बंदी को संदर्भित करता है; (ii) कोई भी व्यक्ति जो मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा है या लेखा रख रहा है

(3) व्यक्तियों का कोई संगठन, व्यक्तियों का निकाय

व्यक्ति, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी जिसमें ऐसा दोषी/बंदी सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है; (iv)

व्यक्तियों का संघ, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी; (v) कोई भी व्यक्ति जो खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी के मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा था; (vi) किसी भी ट्रस्ट का ट्रस्टी जहां (ए) ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट बनाया गया है; या (बी) ऐसे दोषी/बंदी द्वारा ट्रस्ट राशि में योगदान की गई संपत्ति का मूल्य, उस तारीख को ट्रस्ट की संपत्ति के मूल्य के 20 प्रतिशत से कम नहीं योगदान की तारीख पर; और (vii) जहां सक्षम प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, यह मानता है कि ऐसे दोषी/बंदी की कोई संपत्ति रखी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट होगा कि जोड़ने वाली कड़ी या सांठगांठ, जैसा कि इसे कहा जा सकता है, दोषी/बंदी की संपत्ति या संपत्ति का स्वामित्व है या ऐसे बंदी के लिए पता लगाने योग्य है। दोषी। इस संदर्भ में धारा 4 भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह घोषणा करता है कि "इस अधिनियम के प्रारंभ से, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखना विधिसम्मत नहीं होगा।" ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस धारा की भाषा अधिनियम के दायरे का संकेत है। धारा 2 (2) में खंड (ग) और (घ) और होने वाले स्पष्टीकरण (2) और (3)

उसमें अधिनियमन की समग्र योजना और उद्देश्य के आलोक में अर्थ लगाया और समझा जाना चाहिए। ई-इनकम टैक्स अधिकारी, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v. की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने का विचार है।

वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऐसी संपत्तियाँ

जैसा कि उक्त दो में परिभाषित किया गया है, किसी रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर रखे जाते हैं या रखे जाते हैं या उनकी जांच की जाती है।

व्याख्याएँ। विचार यह है कि ऐसे रिश्तेदारों या सहयोगियों की स्वतंत्र संपत्तियों को जब्त नहीं किया जाए, जिन्हें उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया हो, लेकिन केवल दोषी/बंदी की संपत्तियों या उसके लिए पता लगाने योग्य संपत्तियों तक पहुंचने के लिए, जहां भी वे हैं, उन संपत्तियों के संबंध में सभी लेनदेन की अनदेखी करते हुए। दृष्टांत के रूप में, एक ऐसे मामले को लें जहां एक दोषी/बंदी अपने रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर संपत्ति खरीदता है-इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह ऐसा व्यक्ति केवल एक नाम-ऋणदाता होना चाहता है या क्या वह वास्तव में चाहता है कि ऐसा व्यक्ति उसका वास्तविक मालिक और/या स्वामी होगा-या उपहार देगा या अन्यथा अपनी संपत्तियों को अपने किसी भी रिश्तेदार या सहयोगी के पक्ष में स्थानांतरित कर देगा, या उन्हें अपने किसी भी रिश्तेदार या सहयोगी को बेचने का इरादा रखता है-ऐसे सभी मामलों में, सभी उक्त लेनदेन की अनदेखी की जाएगी और संपत्तियों को जब्त कर लिया जाएगा जब तक कि दोषी/बंदी या उसका रिश्तेदार/सहयोगी, जैसा भी मामला हो, यह स्थापित नहीं करता है कि ऐसी संपत्ति या संपत्तियां धारा 3 (सी) के अर्थ के भीतर "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां" नहीं हैं। मामले के इस दृष्टिकोण में, इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि स्वतंत्र रूप से अर्जित संपत्तियां

जहां तक धारा 2 (2) (ई) में उल्लिखित धारकों (रिश्तेदार और सहयोगी नहीं होने) का संबंध है, उनके साथ एक अलग आधार पर व्यवहार किया जाता है। यदि ऐसा व्यक्ति यह साबित करता है कि वह सद्भावना से हस्तांतरणकर्ता है विचार के लिए, उसकी संपत्ति-भले ही एक दोषी/बंदी से खरीदी गई हो-जब्त करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह दोहराना भी उतना ही आवश्यक है कि यह स्थापित करने का भार कि धारा 6 के तहत जारी कारणदर्शक नोटिस में उल्लिखित संपत्तियां, और जो उस तारीख को दोषी/बंदी के किसी रिश्तेदार या सहयोगी द्वारा रखी गई हैं, दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां नहीं हैं, ऐसे रिश्तेदार/सहयोगी पर निर्भर करता है। उसे यह स्थापित करना चाहिए कि उक्त संपत्ति बंदी/दोषी द्वारा प्रदान किए गए धन या संपत्ति से अर्जित नहीं की गई है या वे वास्तव में ऐसे बंदी/दोषी से संबंधित नहीं हैं या नहीं हैं। हमें नहीं लगता कि संसद [2021] 12 एस. सी. आर.

कभी यह कहने का इरादा था कि सभी रिश्तेदारों की संपत्तियाँ और सहयोगी, जिन्हें अवैध रूप से अर्जित किया जा सकता है, उन्हें केवल इसलिए जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि

वे दोषी/बंदी के रिश्तेदार या सहयोगी होते हैं।

इनके बीच एक जुड़ाव होना चाहिए।

सम्पत्तियाँ और दोषी/बंदी, अस्वीकृत करने का बोझ जो, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, रिश्तेदार/सहयोगी पर है।

मामले के इस दृष्टिकोण में, आशंका और विवाद

इस ओर से याचिकाकर्ताओं को आधारित माना जाना चाहिए

एक गलत आधार पर। रिश्तेदारों को लाना और

धारा के खंड (ई) में उल्लिखित व्यक्तियों के सहयोगी या

2 (2) इस प्रकार इसके अलावा न तो भेदभावपूर्ण है और न ही अक्षम है

अनुच्छेद 31-बी का संरक्षण।

(जोर दिया गया)

31. इस विवाद की जांच करते हुए कि क्या खंड (सी) से (ई) के

धारा 2 (2) अतिक्रमण या अति विस्तार का मामला है, इसने अभिनिर्धारित किया कि अत्यधिक विनियमन का यह तर्क एक गलत धारणा पर आधारित था क्योंकि अधिनियम केवल धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाली व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने के लिए निर्देशित है। रिश्तेदार और सहयोगियों को केवल यह सुनिश्चित करने के लिए लाया जाता है कि 'अवैध रूप से दोषी या बंदी की अर्जित या रिश्तेदारों या सहयोगियों के नाम पर रखी गई संपत्तियां अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं निकलती हैं। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां खंड (ए) और (बी) में उल्लिखित व्यक्ति 'अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों' को अपने रिश्तेदारों और सहयोगियों को हस्तांतरित कर सकते हैं।

" और इससे भी आगे ", स्वामित्व और शीर्षक को स्थानांतरित करने के इरादे से। इसलिए, यह मायने नहीं रखता कि ऐसा रिश्तेदार या सहयोगी दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कैसे रखता है-चाहे वह बेनामी के रूप में हो, या केवल एक नाम-ऋणदाता के रूप में या हस्तांतरणकर्ता के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से। अधिनियम का उद्देश्य और उद्देश्य उन उपकरणों का प्रतिकार करना है जो या

धारा 2 (2) के खंड (ए) या (बी) में उल्लिखित व्यक्तियों द्वारा अपनाया जा सकता है, इसलिए, उक्त उप-धारा के खंड (सी) या (डी) में उल्लिखित उनके रिश्तेदारों या सहयोगियों को भी अधिनियम के दायरे में लाया जाता है।

रिश्तेदार या सहयोगी जो दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखते हैं या रखते हैं, वे दोषी/बंदी के बीच की कड़ी हैं। विचार यह है कि दोषी/बंदी की संपत्तियों को जब्त कर लिया जाए, चाहे वे कहीं भी हों, और उन संपत्तियों तक पहुंच बनाई जाए जिनके नाम पर उन्हें रखा या रखा गया हो।

32. संविधान पीठ के कथन की पृष्ठभूमि में और

इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में, हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि 1976 के अधिनियम की धुरी ई-इनकम टैक्स अधिकारी, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM की "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" तक पहुंचना है।

वी. वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जिस किसी के नाम पर उन्हें रखा जाता है या उसके द्वारा दोषी/बंदी बनाया जाता है।

चाहे वे किसी भी समय के लिए आयोजित किए जाएं।

33. मान लीजिए, 1976 के अधिनियम के तहत व्यवस्था केवल लागू होती है

धारा 2 (2) 2 0 में निर्दिष्ट पुत्र।

लोकविन्यास। (1) इस अधिनियम के प्रावधान केवल व्यक्तियों पर लागू होंगे।

उप-धारा (2) में।

उप-धारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति निम्नलिखित हैं, अर्थात्:

((क) प्रत्येक व्यक्ति -

(i) जिसे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8), या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत किसी वस्तु के संबंध में अपराध का दोषी ठहराया गया है।

एक लाख रुपये से अधिक का मूल्य; या

((ii) जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के तहत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, वह राशि या मूल्य जिसमें एक से अधिक शामिल है।

एक लाख रुपये; या

(iii) जिसे समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 (1878 का 8) या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत दोषी ठहराया गया है, उसे दोषी ठहराया गया है।

बाद में उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत; या

(iv) जिसे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 (1947 का 7) या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) के तहत दोषी ठहराया गया है, उसे बाद में उन अधिनियमों में से किसी एक के तहत दोषी ठहराया गया है;

(ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में निरोध का आदेश दिया गया है।

विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम

अधिनियम, 1974:

बशर्ते कि

((i) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 या धारा 12 क के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, उक्त अधिनियम की धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट प्राप्त करने से पहले या सलाहकार बोर्ड को संदर्भ देने से पहले रद्द नहीं किया गया है; या

((ख) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 9 के प्रावधान लागू होते हैं, धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत समीक्षा के लिए या उसके आधार पर या धारा 8 के तहत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर समय समाप्त होने से पहले रद्द नहीं किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 9 की धारा (2); या ((ग) निरोध का ऐसा आदेश, जो एक ऐसा आदेश है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 12 क के प्रावधान लागू होते हैं, समाप्ति से पहले निरस्त नहीं किया गया है।

उस धारा की उप-धारा (3) के तहत पहली समीक्षा के लिए या उसके आधार पर, या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर

धारा 8, जिसे उस अधिनियम की धारा 12 ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ा जाता है; या (iv) निरोध के ऐसे आदेश को सक्षम न्यायालय द्वारा दरकिनार नहीं किया गया है।

अधिकार क्षेत्र;

(ग) प्रत्येक व्यक्ति जो खंड (क) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति का रिश्तेदार है।

((ख)

(घ) खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति का प्रत्येक सहयोगी; [2021] 12 एस. सी. आर.

34. मोटे तौर पर कहा जाए तो धारा 2 (2) (ए) व्यक्तियों की श्रेणी को संदर्भित करती है।

जिन्हें निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत दोषी ठहराया जाता है। जबकि, धारा 2 (2) (बी) निर्दिष्ट निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को संदर्भित करती है। "व्यक्ति" अभिव्यक्ति जिसके लिए 1976 का अधिनियम लागू होता है,

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत निर्दिष्ट कानूनों या खंड (बी) के तहत दोषी ठहराए गए खंड (ए) में निर्दिष्ट व्यक्ति के रिश्तेदार प्रत्येक व्यक्ति को शामिल करके इसका विस्तार किया गया है। धारा 2 के स्पष्टीकरण 2 में "रिश्तेदार" पद को और विस्तृत किया गया है, ताकि किसी दोषी या बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों तक पहुंचने के लिए सुधारात्मक उपाय करने का दायरा बढ़ाया जा सके, जैसा भी मामला हो।

(ई) किसी भी धारक (इसके बाद इस खंड में वर्तमान धारक के रूप में संदर्भित)

संपत्ति जो किसी भी समय पहले किसी व्यक्ति द्वारा धारित की गई थी खंड (क) या खंड (ख) जब तक कि वर्तमान धारक या, यथास्थिति, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसे व्यक्ति के बाद और वर्तमान धारक के समक्ष ऐसी संपत्ति धारण की हो, या

पर्याप्त विचार के लिए सद्भावना से एक हस्तांतरणकर्ता था।

अपराध होने की तारीख को भारत में व्यापार के सामान्य क्रम में माल का थोक मूल्य। स्पष्टीकरण 2. - खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "रिश्तेदार" का अर्थ है -

((i) व्यक्ति का जीवनसाथी;

((ग) व्यक्ति के जीवनसाथी का भाई या बहन; ((iv) व्यक्ति का कोई भी वंशपरंपरागत आरोही या वंशज;

(v) व्यक्ति के जीवनसाथी का कोई भी वंश या वंशज;

((vi) खंड (ii), खंड (iii), खंड (iv) या खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति का पति या पत्नी।

(वी);

((vii) खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट व्यक्ति का कोई वंशावली। स्पष्टीकरण 3. खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में "सहयोगी", मतलब

(i) कोई भी व्यक्ति जो आवासीय परिसर में रह रहा था या रह रहा है (जिसमें शामिल हैं)

ऐसे व्यक्ति के घरों के बाहर);

((ii) कोई भी व्यक्ति जो मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा है या कर रहा है

ऐसे व्यक्ति के खाते;

((ग) कंपनी अधिनियम, 1956 के अर्थ के भीतर व्यक्तियों का कोई संगठन, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म या निजी कंपनी, जिनमें से

ऐसा व्यक्ति सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा है या है;
((iv) कोई भी व्यक्ति जो किसी संगठन का सदस्य, भागीदार या निदेशक रहा हो या है।

व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का निकाय, साझेदारी फर्म, या निजी

खंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी किसी भी समय जब ऐसा व्यक्ति ऐसे संघ, निकाय, साझेदारी फर्म का सदस्य, भागीदार या निदेशक था या है या

निजी कंपनी; आय कर अधिकारी, CIRCLE I (2), KUMBAKONAM v. वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

35. जहाँ तक इसमें उत्तरदाताओं का संबंध है, यह स्पष्ट है कि वे रिश्तेदार के दायरे में आते हैं-भाई का बेटा और पत्नी होना। दोषी, जिसके लिए 1976 का अधिनियम लागू होता है।

36. धारा 2 (2) (डी) आगे स्वीप का विस्तार करती है ताकि किसी दोषी या बंदी के सहयोगी को शामिल किया जा सके, जैसा भी मामला हो; और धारा 2 (2) (ई) किसी भी संपत्ति के किसी भी धारक (वर्तमान धारक) को अपने दायरे में लेती है,

जो पहले किसी भी समय खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति, अर्थात्, यथास्थिति, दोषी या निरोधित व्यक्ति द्वारा धारण किया गया था।

37. अधिनियमन के उद्देश्य और उद्देश्य को परिवेष्टित स्पष्टीकरण 4 में प्रबलित किया गया है जैसा कि यहाँ पहले पुनः प्रस्तुत किया गया है। जाहिर है,

इरादा यह सुनिश्चित करना है कि दोषी/बंदी छलावरण या जांच को अपनाकर भाग न सके, जिसमें संपत्ति का कानूनी हस्तांतरण भी शामिल है।

उसके रिश्तेदार, सहयोगी या अधिनियम की धारा 2 (2) के खंड (ई) के तहत आने वाले किसी अन्य व्यक्ति का नाम।

38. खंड (ग) से (ङ) तक के इस विस्तारित दायरे की व्याख्या अधिनियम के उद्देश्य और उद्देश्य के संदर्भ में की जानी है, लेकिन

अधिनियम किसी रिश्तेदार या सहयोगी द्वारा धारण की गई प्रत्येक संपत्ति को तब तक शामिल नहीं करता है जब तक कि दोषी/बंदी की अवैध गतिविधियों के साथ संबंध और संबंध स्थापित नहीं हो जाता है। क्योंकि, अधिनियम को केवल धारा 2 (2) के खंड (ए) या खंड (बी) के तहत आने वाली किसी व्यक्ति की 'अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों' को जब्त करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें तीसरे पक्ष द्वारा धारित उनकी निर्दिष्ट संपत्तियां भी शामिल हैं। रिश्तेदारों और दोस्तों की स्वतंत्र संपत्तियाँ जो

(v) कोई भी व्यक्ति जो मामलों का प्रबंधन कर रहा था या कर रहा है, या खाते रख रहा है, व्यक्तियों के किसी भी संघ, व्यक्तियों के निकाय, साझेदारी फर्म या निजी

खंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी;

((vi) किसी न्यास का न्यासी, जहाँ -

((क) न्यास ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाया गया है; या

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा योगदान की गई परिसंपत्तियों का मूल्य (मूल्य सहित)

न्यास राशि में उनके द्वारा पहले योगदान की गई परिसंपत्तियों में से, यदि कोई हो) जिस तारीख को योगदान किया जाता है, वह बीस प्रतिशत से कम नहीं होगा। में से

उस तारीख को न्यास की परिसंपत्तियों का मूल्य;

(vii) जहां सक्षम प्राधिकारी, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए

यह मानता है कि ऐसे व्यक्ति की कोई भी संपत्ति उसकी ओर से किसी के द्वारा धारण की जाती है

अन्य व्यक्ति, ऐसा अन्य व्यक्ति।

स्पष्टीकरण 4. - संदेह से बचने के लिए, यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रश्न कि क्या कोई व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके लिए इस अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं, इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हुए या हुए किसी भी तथ्य, परिस्थितियों या घटनाओं (किसी दोषसिद्धि या निरोध सहित) के संदर्भ में निर्धारित किया जा सकता है।

(जोर दिया गया)

दोषी/बंदी की अवैध गतिविधियों का पता नहीं चलने पर न तो उन्हें जब्त करने की मांग की जाती है और न ही वे अधिनियम के दायरे में आते हैं।

39. धारा 3 परिभाषा खंड है। अभिव्यक्ति "अवैध रूप से"

अर्जित संपत्ति की व्याख्या उसकी उप-धारा (1) के खंड (ग) में की गई है।

अन्य प्रासंगिक परिभाषा खंड धारा 3 (1) (ई) 2 2 में अभिव्यक्ति "संपत्ति" है।

40. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अमृतलाल प्रजिवंदास 2 3 में, जबकि

अधिनियम की धारा 3 (1) के खंड (सी) में "अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों" की परिभाषा की व्याख्या करते हुए, यह माना गया कि परिभाषा बहुत व्यापक है -

21 3. परिभाषाएँ। — (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो, (ए) और (बी)।

ग) "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति", किसी भी व्यक्ति के संबंध में जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, इसका अर्थ है -

((ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, किसी भी आय, आय या संपत्ति से या उसके माध्यम से पूरी तरह से या आंशिक रूप से, जिसका स्रोत साबित नहीं किया जा सकता है और जिसे किसी ऐसे मामले के संबंध में किए गए किसी कार्य या चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है; या ((iv) ऐसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले हो या बाद में, उपखंड (i) से (iii) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से पता लगाने योग्य प्रतिफल के लिए या किसी भी माध्यम से या ऐसी संपत्ति से आय या आय;

और इसमें शामिल हैं

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित कोई संपत्ति, जो उसके किसी पूर्व धारक के संबंध में इस खंड के तहत अवैध रूप से अर्जित संपत्ति होती, यदि ऐसे पूर्व धारक ने इसे धारण करना बंद नहीं किया था, जब तक कि ऐसा व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जिसने ऐसे पूर्व धारक के बाद किसी भी समय संपत्ति धारण की थी या जहां दो या दो से अधिक ऐसे पूर्व धारक हैं, ऐसे पूर्व धारकों में से अंतिम पर्याप्त प्रतिफल के लिए सद्भावना से हस्तांतरणकर्ता है या था; (बी) ऐसी व्यक्ति द्वारा अर्जित कोई संपत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में, मद (ए) के तहत आने वाली किसी संपत्ति के लिए पूरी तरह से या आंशिक रूप से, या उससे होने वाली आय या आय पर विचार करने के लिए या किसी भी माध्यम से;

222 (ई) "संपत्ति" में चल या अचल संपत्ति में कोई भी हित शामिल है; 23 फुटनोट सं. 5 पर सुप्रा आय कर कार्यालय, क्रम I (2), कुम्बकोणम v.

वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

अधिनियम के अधिनियमन के बाद अर्जित संपत्ति को ही नहीं, बल्कि अधिनियम से पहले अर्जित संपत्ति को भी शामिल करना, चाहे वह कितना भी लंबा समय हो, और इसके अलावा अवैध गतिविधि अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित कानूनों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य कानूनों को भी शामिल करना जो संसद है।

बनाने में सक्षम। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि 'अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों' की परिभाषा में धारा 2 (2) के खंड (सी) और (डी) के तहत आने वाली रिश्तेदारों या सहयोगियों की संपत्तियां शामिल नहीं हैं, भले ही उन्होंने अवैध गतिविधियों या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करके संपत्तियों का अधिग्रहण किया हो। क्योंकि यह अधिनियम केवल 'अवैध रूप से' लागू होता है। रिश्तेदार या सहयोगी या धारक द्वारा या उसके नाम पर रखी गई दोषी/बंदी की अर्जित संपत्तियाँ।

की ओर से "। ऐसी सभी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। इस धारा की भाषा अधिनियम के दायरे का संकेत है। धारा 2 (2) में खंड (ग) और (घ) और होने वाले स्पष्टीकरण (2) और (3) उसमें अधिनियमन की समग्र योजना और उद्देश्य के आलोक में अर्थ लगाया और समझा जाना चाहिए। विचार यह है कि

दोषी/बंदी की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करना।

इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी संपत्तियां किसी रिश्तेदार या सहयोगी के नाम पर रखी जाती हैं या रखी जाती हैं, जैसा कि उक्त दो स्पष्टीकरणों में परिभाषित किया गया है। विचार यह है कि ऐसे रिश्तेदारों या सहयोगियों की स्वतंत्र संपत्तियों को जब्त नहीं किया जाए, जिन्हें उन्होंने अवैध रूप से अर्जित किया हो, लेकिन केवल दोषी/बंदी की संपत्तियों या उसके लिए पता लगाने योग्य संपत्तियों तक पहुंचने के लिए, जहां भी वे हैं, उन लोगों के संबंध में सभी लेनदेन की अनदेखी करते हुए।

गुण "।

अधिनियम की धारा 2 (2) (ई) में उल्लिखित धारकों पर अधिनियम की प्रयोज्यता के मुद्दे पर, इस न्यायालय ने कहा कि वे रिश्तेदारों और सहयोगियों से अलग वर्ग में आते हैं, जिनसे अलग तरीके से निपटा जाता है।

पैर। यदि धारा 2 (2) के खंड (ई) के तहत आने वाला कोई व्यक्ति यह साबित करता है कि वह बिना किसी सूचना के, पर्याप्त विचार के लिए, सद्भावना से हस्तांतरणकर्ता है, तो उसकी संपत्ति-भले ही किसी दोषी/बंदी से खरीदी गई हो-नहीं है। खोने की संभावना है।

42. वर्तमान निर्णय में, हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" की परिभाषा को केवल एक ही मुद्दे के रूप में विस्तार दें।

यह हैः क्या 1976 के अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी को प्राथमिक नोटिस जारी करना अनिवार्य है और न कि केवल दोषी के रिश्तेदारों को, जिनके पास जब्त की जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियां हैं? फिर भी, 1976 के अधिनियम की धारा 424 का विज्ञापन करना उपयोगी हो सकता है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने पर प्रतिबंध लगाती है।

43. इस प्रावधान के शाब्दिक निर्माण पर, यह इस बात का पालन करना चाहिए कि यह किसी भी व्यक्ति (जैसा कि 1976 के अधिनियम की धारा 2 (2) में परिभाषित किया गया है) के लिए वैध नहीं होगा, जिसके लिए यह अधिनियम किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को रखने के लिए लागू होता है।

(जैसा कि 1976 के अधिनियम की धारा 3 (1) (सी) में परिभाषित किया गया है) या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब दंड (जैसे (क) कानून द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिरोपित की गई है कि -

सार्वजनिक नीति के किसी आधार पर कुछ करने से रोकने के लिए, निषिद्ध कार्य, यदि किया जाता है, तो उसे शून्य माना जाएगा, भले ही लगाया गया जुर्माना लागू करने योग्य न हो। कमीशन और चूक के ऐसे कार्य इसके शून्यता के बारे में स्पष्ट घोषणा के बिना भी अमान्य हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह के दंड का अर्थ निषेध है। यह ध्यान दिया जाए कि अधिनियम की धारा 4 में एक स्पष्ट आदेश दिया गया है कि जिस व्यक्ति पर अधिनियम लागू होता है, वह किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को नहीं रखेगा और सक्षम प्राधिकारी पर एक संबंधित कर्तव्य है कि वह 1976 के अधिनियम की धारा 18 के तहत उचित जांच के बाद ऐसी संपत्ति की जब्ती के लिए प्रक्रिया शुरू करे-चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पहले या उसके बाद अर्जित की गई हो। 44. उस प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1976 के अधिनियम की धारा 626 के तहत ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करके शुरू किया जाना है जो

24 4. अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखने पर प्रतिबंध। - (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से, किसी भी व्यक्ति के लिए, जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, किसी भी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को अपने द्वारा या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखना विधिसम्मत नहीं होगा।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखता है, वहाँ ऐसी संपत्ति इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के लिए ज़ब्त की जाने वाली होगी। 25 मन्नालाल खेतान और अन्य देखें। बनाम केदार नाथ खेतान और अन्य। , (1977) 2 एस. सी. सी. 424 (पैरा 18 से 22) और आशा जॉन दिवियानाथन बनाम विक्रम मल्होत्रा और अन्य। , 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 147

26 6. ज़ब्त करने की सूचना। - (1) यदि, किसी व्यक्ति द्वारा धारित संपत्तियों के मूल्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके लिए यह अधिनियम लागू होता है, या तो स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से

उसकी ओर से व्यक्ति, उसकी आय, आय या परिसंपत्तियों के ज्ञात स्रोत, और धारा 18 या आय कर अधिकारी, परिपत्र I (2), कुंभकोणम v के तहत की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसके लिए उपलब्ध कोई अन्य जानकारी या सामग्री।

वी. मोहन [ए. एम. खानविलकर, जे.]

जब्त की जाने वाली प्रस्तावित संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित किया जा रहा है संपत्तियाँ। वह व्यक्ति या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से संपत्ति रख सकता है। यदि संपत्ति संबंधित व्यक्ति के पास है, तो धारा 6 (1) के तहत ऐसे व्यक्ति को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है, जिसे अधिनियम लागू होता है, जिसमें उसे अपनी आय, आय या संपत्ति के स्रोतों का खुलासा करने के लिए कहा जाता है, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह सबूत जिस पर वह निर्भर है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण।

45. 1976 के अधिनियम की धारा 6 का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, यह

अधिनियम की धारा 1827, जिसे धारा 6 (1) में संदर्भित किया गया है, को धारा 6 (1) के तहत नोटिस जारी करने से पहले सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाए जाने वाले पूर्ववर्ती प्रक्रियात्मक कदमों के रूप में पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, यह विश्वास करने का कारण होने पर कि संबंधित संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं जो नोटिसकर्ता द्वारा या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखी गई हैं।

प्रभावित) उसे ऐसे समय के भीतर बुलाना जो सूचना में निर्दिष्ट किया जाए, जो सामान्य रूप से तीस दिनों से कम नहीं होगा, उसकी आय, आय या संपत्ति के स्रोतों को इंगित करने के लिए, जिसमें से या जिसके माध्यम से उसने ऐसी संपत्ति अर्जित की है, वह सबूत जिस पर वह निर्भर करता है और अन्य प्रासंगिक जानकारी और विवरण, और यह कारण दिखाने के लिए कि इस अधिनियम के तहत ऐसी सभी या किसी भी संपत्ति को अवैध रूप से अर्जित संपत्ति घोषित क्यों नहीं किया जाना चाहिए और केंद्र सरकार को जब्त क्यों नहीं किया जाना चाहिए। (2) जहां किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत कोई सूचना निर्दिष्ट करती है कि कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है, तो सूचना की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी दी जाएगी।

(जोर दिया गया)

27 18. सक्षम प्राधिकारी की कुछ अधिकारियों से कुछ शक्तियों का प्रयोग करने की अपेक्षा करने की शक्ति। — (1) इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए या ऐसी किसी भी कार्यवाही की शुरुआत के लिए, सक्षम प्राधिकारी को किसी भी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, संपत्ति, दस्तावेजों, लेखा पुस्तकों या किसी अन्य प्रासंगिक मामलों के संबंध में कोई जांच, जांच या सर्वेक्षण करने की शक्ति होगी।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, सक्षम प्राधिकारी, जांच, जांच या सर्वेक्षण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग के किसी अधिकारी से ऐसी जांच, जांच या सर्वेक्षण करने या कराने की अपेक्षा कर सकता है। (3) आय-कर विभाग का कोई भी अधिकारी जो उप-धारा (2) के तहत की जाने वाली किसी भी जांच, जांच या सर्वेक्षण का संचालन कर रहा है या करा रहा है, वह ऐसी जांच, जांच या सर्वेक्षण के उद्देश्य से किसी भी शक्ति (किसी भी शक्ति के प्रयोग को अधिकृत करने की शक्ति सहित) का प्रयोग कर सकता है जिसका उपयोग वह आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकता है और उक्त अधिनियम के प्रावधान, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

46. इस स्तर पर, हम यह साबित करने के लिए 1976 के अधिनियम की धारा 828 के प्रावधान के रूप में अन्य प्रासंगिक प्रावधान का भी उल्लेख कर सकते हैं कि

नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति कानूनी रूप से अधिग्रहित संपत्ति है।

47. धारा 6 के सादे और प्रासंगिक पठन पर, यह स्पष्ट है कि धारा 6 (1) के तहत नोटिस किसी को भी जारी किया जाना आवश्यक है।

वह व्यक्ति जिसके लिए अधिनियम लागू होता है। जैसा कि धारा 2 (2) से स्पष्ट है

1976 अधिनियम, यह अधिनियम न केवल दोषी या बंदी पर लागू होता है, बल्कि उनके रिश्तेदार, सहयोगी सहित किसी भी संपत्ति के धारक के लिए भी लागू होता है जो क्रमशः धारा 2 (2) (सी), 2 (2) (डी) और 2 (2) (ई) है। नोटिस जारी करने का उद्देश्य संबंधित व्यक्ति (नोटिस प्राप्तकर्ता) को सबूत के बोझ का निर्वहन करने में सक्षम बनाना है।

1976 के अधिनियम की धारा 8 में प्रस्तावित। इसके बाद वह यह साबित कर सकता है कि नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति उसकी कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति है।

48. तथापि, किसी दिए गए मामले में, यदि संपत्ति केवल उसके कानूनी कब्जे में होने के कारण किसी व्यक्ति के पास है, लेकिन

प्रासंगिक समय पर संपत्ति दोषी या बंदी या उसकी/की है।

उसके रिश्तेदार, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाएगा कि वह न केवल विचाराधीन संपत्ति के कब्जे वाले व्यक्ति को बल्कि संबंधित अभिलेखों में उसके मालिक के रूप में दिखाए गए व्यक्ति को भी नोटिस दे। इसी तरह, एक ऐसे मामले में जहां संबंधित अभिलेखों में मालिक के रूप में दिखाए गए व्यक्ति ने विषय संपत्ति खरीदी थी। दोषी या बंदी और बाद में खरीदार होने पर, वर्तमान मालिक और पूर्व मालिक (दोषी या बंदी), दोनों को, जैसा भी मामला हो, नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। तथापि, यदि संबंधित समय पर संबंधित अभिलेखों में संपत्ति का स्वामित्व संबंधित व्यक्ति का है।

कब्जा (जैसा कि इन मामलों में), और दोषी या बंदी नहीं होने के कारण, बाद वाले को नोटिस जारी करने का सवाल कोई उद्देश्य पूरा नहीं करेगा। द.

दोषी या बंदी को ऐसी संपत्ति में किसी भी अधिकार का दावा करने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

स्वामित्व अधिकारों सहित और इसी कारण से, उनसे 1976 के अधिनियम की धारा 8 के तहत सबूत के बोझ का निर्वहन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या यह उनकी कानूनी रूप से अर्जित संपत्ति है और न ही उन्हें जब्त करने की प्रस्तावित कार्रवाई से प्रभावित व्यक्ति कहा जा सकता है। 49. धारा 6 में "धारित" अभिव्यक्ति का अर्थ यह समझना होगा कि व्यक्ति संबंधित रिकॉर्ड में संपत्ति का मालिक होने के नाते या कानूनी कब्जे में होने के कारण भी संपत्ति पर कब्जा करने का हकदार है।

28 8. सबूत का बोझ। — इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, यह साबित करने का बोझ कि धारा 6 के तहत दी गई सूचना में निर्दिष्ट कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

वहाँ से। दूसरे शब्दों में, एक व्यक्ति उस संपत्ति को तब भी धारण कर सकता है जब वह (प्रासंगिक समय पर) कथित संपत्ति के कानूनी कब्जे में हो, भले ही वह उसका अभिलिखित मालिक न हो। दोनों ही मामलों में, यह 1976 के अधिनियम की धारा 6 में होने वाली "अभिनिर्धारित" अभिव्यक्ति के दायरे में आने वाला मामला होगा।

50. 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) का तीसरा पहलू यह है कि नोटिस प्राप्तकर्ता संपत्ति को या तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अपने पास रख सकता है।

दोषी या बंदी की आय, कमाई या संपत्ति, ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति होगा जिसके लिए अधिनियम स्पष्टीकरण 2 के साथ पठित धारा 2 (2) (सी) के अनुसार लागू होता है। ऐसा व्यक्ति संपत्ति का एक अभिलिखित मालिक हो सकता है जिसने इसे पूरी तरह से या आंशिक रूप से किसी भी आय, आय या संपत्ति से या उसके माध्यम से अर्जित किया हो। दोषी या बंदी की गतिविधि (चाहे वह 1976 के अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में की गई हो) जो किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत निषिद्ध है जिसके संबंध में संसद को कानून बनाने की शक्ति है।

51. दूसरे शब्दों में, "अवैध रूप से अर्जित" की परिभाषा के अनुसार

धारा 3 (1) (सी) में "संपत्ति" और धारा 2 (2) में "व्यक्ति" जिसके लिए अधिनियम लागू होता है, यदि संपत्ति अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में दोषी या बंदी के रिश्तेदार के नाम पर है,

धारा 6 (1) के तहत ऐसे व्यक्ति (अभिलिखित मालिक के साथ-साथ कब्जे में) को नोटिस जारी करने की आवश्यकता है, जो अकेले 1976 के अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में सबूत के बोझ का निर्वहन कर सकता है और उससे उम्मीद की जाती है-ताकि सक्षम प्राधिकारी को ऐसी संपत्ति के खिलाफ आगे की कार्रवाई करने से रोका जा सके। वास्तव में, यदि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रिश्तेदार के नाम पर है, लेकिन उसका वास्तविक कब्जा किसी अन्य व्यक्ति के पास है, जो धारा 2 (2) में दी गई "व्यक्ति" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आता है, तो ऐसे मामले में धारा 6 के तहत प्राथमिक सूचना दोषी या बंदी के रिश्तेदार को जारी की जानी चाहिए और इसकी प्रति "ऐसे अन्य व्यक्ति" को दी जानी चाहिए जो इसके वास्तविक कब्जे में है (भले ही दोषी या बंदी के रिश्तेदार के लिए और उसकी ओर से हो)। इस स्थिति में भी दोषी या बंदी को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं हो सकती है बहुत कम अनिवार्य। क्योंकि, 1976 का अधिनियम दोषी या बंदी के रिश्तेदार पर भी लागू होता है, जो खुद या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति रखता है।

1] 12 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

52. पक्षों की ओर से पेश विद्वान वकील ने 1976 के अधिनियम की धारा 6 (2) के उद्देश्य के साथ हमारी सराहना की थी। दोनों पक्षों द्वारा उसमें होने वाली अभिव्यक्तियों की अलग-अलग व्याख्या की गई है। धारा 6 (2) केवल ऐसे अन्य लोगों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता को संदर्भित करती है।

व्यक्ति "। 53. "ऐसा व्यक्ति" अभिव्यक्ति न केवल धारा 6 (1) में पाई जाती है, बल्कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों में भी पाई जाती है, जिसमें परिभाषा खंड यानी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की धारा 3 (1) (सी) शामिल है। धारा 6 (2) में आने वाली अभिव्यक्ति "ऐसे व्यक्ति" और "ऐसे अन्य व्यक्ति" को उस संदर्भ और उस स्थिति में समझना होगा जिसमें इसे संबंधित प्रावधान में नियोजित किया गया है। एकर एकटा सामंजस्यपूर्ण संरचना अछि

अनिवार्य है।

54. धारा 6 (2) के पहले भाग में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "कोई भी व्यक्ति" है। वह वह व्यक्ति है जिसे धारा 6 (1) के तहत प्राथमिक सूचना दी गई है।

संबोधित किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि 1976 के अधिनियम की धारा 2 (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति हो सकता है। वह एक दोषी या बंदी, उसका रिश्तेदार या सहयोगी हो सकता है, जिसमें वह व्यक्ति भी शामिल है जो संपत्ति का धारक है।

प्रासंगिक समय पर प्रश्न। धारा 6 (2) तब सूचना में विषय संपत्ति और संबंधित व्यक्ति (ऐसे व्यक्ति) द्वारा धारित संपत्ति के तथ्य को संदर्भित करती है-या तो प्राथमिक नोटिसकर्ता जिसे

अधिनियम स्वयं या उसकी ओर से "किसी अन्य व्यक्ति" के माध्यम से लागू होता है। उत्तरार्द्ध को उस के अंतिम भाग में "ऐसे अन्य व्यक्ति" के रूप में वर्णित किया गया है। उप-धारा [धारा 6 (2)] वह, "ऐसा अन्य व्यक्ति", पहले उल्लिखित "कोई अन्य व्यक्ति" अभिव्यक्ति के दायरे में भी आता है और प्राथमिक सूचना प्राप्तकर्ता की ओर से विचाराधीन संपत्ति रखता है। में।

दूसरे शब्दों में, "ऐसा अन्य व्यक्ति" उस व्यक्ति के अलावा एक अन्य व्यक्ति होगा जिसके लिए अधिनियम लागू होता है और वह केवल उस व्यक्ति की ओर से अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का धारक होगा जिसके लिए अधिनियम लागू होता है। अतः वह एक व्यक्ति हो सकता है

1976 के अधिनियम की धारा 2 (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति के अलावा। विधायी इरादा "ऐसे अन्य व्यक्ति" को शामिल करना है ताकि दोषी/बंदी की "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति" तक पहुंचा जा सके और मामले को सुलझाया जा सके/उठाया जा सके। जिस व्यक्ति पर अधिनियम लागू होता है, उसके द्वारा बनाया गया पर्दा। हम उपयोगी रूप से संविधान पीठ के कथन का पुनर्कथन कर सकते हैं, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि विधायी इरादा उन सभी अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों तक पहुंचना है, जिनके नाम पर उन्हें रखा गया है या जिनके द्वारा भी उन्हें रखा गया है।

इस तरह के अधिग्रहण की समय अवधि चाहे जो भी हो। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि जिन व्यक्तियों पर अधिनियम धारा 2 (2) में निर्दिष्ट लागू होता है, वे अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को प्रस्तावित संपत्ति से बचाने के लिए तंत्र का उपयोग नहीं करते हैं।

ज़ब्त करने की कार्रवाई।

55. यह ध्यान दिया जाए कि "ऐसा व्यक्ति" अभिव्यक्ति का प्रयोग किया जाता है

सूचना में निर्दिष्ट सूचना प्राप्तकर्ता द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से आयोजित की जाती है उसकी ओर से, यह उस व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति पर भौतिक कब्जा रखने का मामला हो सकता है, जिस पर अधिनियम लागू होता है। ऐसे मामले में, उप-धारा (2) सक्षम प्राधिकारी को "ऐसे अन्य व्यक्ति" को भी नोटिस जारी करने में सक्षम बनाती है, जो अधिनियम की धारा 2 (2) की परिभाषा के दायरे में नहीं आता है। यदि वह व्यक्ति केवल संपत्ति के कब्जे में है और उसका मालिक नहीं है, तो वह इस तथ्य को समझाने या साबित करने में सक्षम नहीं हो सकता है कि संपत्ति अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्ति नहीं है। वास्तव में, यदि "ऐसा अन्य व्यक्ति" दोषी या बंदी के रिश्तेदार के माध्यम से संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर रहा है।

अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के संबंध में, जो धारा 6 (2) के तहत नोटिस प्राप्त होने पर पहले इसका मालिक था, वह निश्चित रूप से सक्षम प्राधिकारी को प्रभावित कर सकता है कि वह कथित संपत्ति पर पर्याप्त विचार के लिए सद्भावना से खरीदार है। इस तरह की याचिका पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

56. अधिनियम की धारा 4, जो उप-धारा (1) में इसी तरह की अभिव्यक्ति का उपयोग करती है-"कोई भी व्यक्ति जिसे यह अधिनियम किसी भी अवैध रूप से रखने के लिए लागू होता है।

या तो स्वयं या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अर्जित संपत्ति-जो अधिनियम की धारा 6 में उपयोग किए गए शब्दों/अभिव्यक्तियों के समान है, उपरोक्त व्याख्या को मजबूत करती है।

57. धारा 6 (1) के तहत नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है

ऐसी संपत्तियाँ जिनके लिए सक्षम प्राधिकारी के पास "विश्वास करने के कारण" दर्ज करने के लिए कोई सबूत या सामग्री नहीं है कि संपत्तियाँ दोषी/बंदी द्वारा प्रदान की गई संपत्ति या धन से अर्जित की गई थीं। अभिव्यक्ति 'विश्वास करने के कारण' एक वाक्यांश है जिसका उपयोग कई अधिनियमों में किया गया है और इस अदालत द्वारा व्याख्या की गई है कि इसका अर्थ अनुमान और अनुमान पर आधारित 'केवल व्यक्तिपरक संतुष्टि' नहीं है, बल्कि एक ऐसा विश्वास है जो 'ईमानदार और उचित आधारों पर आधारित' है। 29 संतुष्टि वस्तुनिष्ठ सामग्री पर आधारित होनी चाहिए न कि केवल भावना या आभास पर। 30 आवश्यकता को जानबूझकर तुच्छ और रोइंग पूछताछ के खिलाफ एक जांच के रूप में कानून बनाया गया है जो केवल

संदेह और दिखावा। 31 वैध मानने के कारणों का उल्लेख करना चाहिए। उन तथ्यों के लिए जिनका गठन के साथ तर्कसंगत संबंध या प्रासंगिक संबंध है

29 टाटा केमिकल्स लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), जामनगर, (2015) 11 एससीसी 628 30 केवल कृष्ण बनाम। पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 737 31 बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम। एम. वी. दाभोलकर और अन्य। , (1976) 2 एससीसी 291 [2021] 12 एस. सी. आर.

विश्वास का होना और अधिनियम की धारा 6 के तहत जांच शुरू करने के उद्देश्य 3 2 के लिए अप्रासंगिक या अप्रासंगिक नहीं होना चाहिए।

58. विश्वास और संतुष्टि के कारणों को दर्ज करना

उपरोक्त शर्तें एक महत्वपूर्ण शर्त है-एक अनिवार्य शर्त और इसके उल्लंघन के कानूनी परिणाम होंगे। यह एक अधिकार क्षेत्र की आवश्यकता है, जो एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता के विपरीत, यदि इसका पालन नहीं किया जाता है तो कार्यवाही को प्रभावित करेगा। इसलिए, ऐसे मामलों में, कोई पूर्वाग्रह नहीं होने का प्रश्न अनुपलब्ध है क्योंकि नोटिस जारी करने के लिए और पूर्व शर्त की संतुष्टि के लिए प्रावधान, यानी, "विश्वास करने के कारण", अनिवार्य है और वैकल्पिक या निर्देशिका नहीं है।

59. जी. पी. सिंह, सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में, 14 वीं

संस्करण, पृष्ठ 430 में, प्रावधानों की अनिवार्य या निर्देशिका प्रकृति का पता लगाने के लिए सिद्धांत और नियम निर्धारित किए गए हैं, और ध्यान दिया गया है कि यह विधायिका के इरादे पर निर्भर करता है, न कि आवश्यक रूप से उस भाषा पर जिसमें इरादे को पहना जाता है। कानून की प्रकृति और रूप-रेखा, इसे किसी न किसी रूप में समझने से होने वाले प्रभाव और उससे होने वाले परिणामों की गंभीरता या तुच्छता विचार किया। कभी-कभी, अदालतें इस बात की जांच करती हैं कि क्या क़ानून गैर-अनुपालन की आकस्मिकता के लिए प्रावधान करता है और क्या गैर-अनुपालन पर कुछ जुर्माना आदि लगाया जाता है, लेकिन यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक या पर्याप्त आधार नहीं है कि क्या प्रावधान अनिवार्य है या प्रकृति में निर्देशिका है। अंत में, यदि कोई प्रावधान अनिवार्य है, तो उसका पालन और पालन किया जाना चाहिए। यह विशेष रूप से अधिकार क्षेत्र की आवश्यकताओं के मामले में है, अर्थात, पूर्व

ऐसी शर्तें जिन्हें कोई भी कार्रवाई करने से पहले पूरा करना होता है।

60. वर्तमान अधिनियम के संदर्भ में, यह अनावश्यक है कि

यह रेखांकित करता है कि जब अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नोटिस जारी किया जाता है, तो परिणाम अधिनियम की धारा 7 और 9 द्वारा परिकल्पित संपत्ति की जब्ती या ज़ुरमाना के बदले में होते हैं। हमने धारा 11 का हवाला नहीं दिया है, लेकिन उक्त प्रावधान यह मानता है कि धारा 6 के तहत नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति का हस्तांतरण अमान्य है। इसलिए, धारा 6 या 10 (जो कुछ न्यास संपत्तियों के संबंध में प्रक्रिया पर लागू होती है) के तहत नोटिस जारी करने के बाद लेनदेन अमान्य हैं और उन्हें नजरअंदाज किया जाना चाहिए।

61. अधिनियम की धारा 833 में भविष्यवाणी की गई है कि जब

किसी संपत्ति का सम्मान धारा 6 के तहत नोटिस के माध्यम से शुरू किया जाता है, 32 एस. नारायणप्पा और अन्य। वी. आयकर आयुक्त, बैंगलोर, ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 523 33 8. सबूत का बोझ। इस अधिनियम के तहत किसी भी कार्यवाही में, यह साबित करने का बोझ कि धारा 6 के तहत दी गई सूचना में निर्दिष्ट कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति नहीं है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा।

यह साबित करने का भार कि संपत्ति अवैध रूप से अर्जित नहीं की गई है, प्रभावित व्यक्ति पर होगा। इसलिए, अधिनियम सबूत के बोझ को उलट देता है, लेकिन धारा 6 के तहत नोटिस वैध रूप से जारी होने के बाद ही। धारा 6 के आधार पर, अधिनियम में सक्षम प्राधिकारी से विश्वास करने के लिए कारण बनाने की आवश्यकता होती है, जो तर्कसंगत और कुछ ऐसी सामग्री पर आधारित होनी चाहिए जो यह दर्शाती है कि धारा में उल्लिखित शर्तें

2 (2) जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अमृतलाल प्रजिवंदास 3 4 में समझाया और समझाया गया है, संतुष्ट हैं। धारा 8 प्रारंभिक चरण में या जब सक्षम प्राधिकारी यह तय करता है कि धारा 6 के तहत नोटिस जारी किया जाना चाहिए या नहीं, तब लागू नहीं होती है। सक्षम प्राधिकारी, केवल इस पर भरोसा करके नहीं कर सकता है धारा 8, धारा 6 के तहत विश्वास करने के कारणों को दर्ज करने और यांत्रिक रूप से नोटिस जारी करने के बोझ को उलट देती है। क्योंकि, धारा 8 उस स्तर पर लागू नहीं होती है जब सक्षम प्राधिकारी नोटिस जारी करने के लिए अपने कारण तैयार करता है और दर्ज करता है।

62. अधिनियम की धारा 735, जिसका शीर्षक 'संपत्ति की ज़ब्ती' है

34 फुटनोट संख्या 5 पर सुप्रा 35 7. कुछ मामलों में संपत्ति की ज़ब्ती। (1) सक्षम प्राधिकारी, धारा 6 के तहत जारी कारण दर्शाओ नोटिस के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और उसके सामने उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के बाद और प्रभावित व्यक्ति को देने के बाद (और ऐसे मामले में जहां प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से नोटिस में निर्दिष्ट कोई संपत्ति रखता है, ऐसे अन्य व्यक्ति को भी) सुनवाई का एक उचित अवसर, आदेश द्वारा, एक निष्कर्ष दर्ज कर सकता है कि क्या विचाराधीन सभी या कोई भी संपत्ति अवैध रूप से अधिग्रहित संपत्ति है।

उन संपत्तियों को निर्दिष्ट करें जो अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं और तदनुसार उप-धारा (1) के तहत एक निष्कर्ष दर्ज करते हैं। (3) जहां सक्षम प्राधिकारी इस धारा के तहत इस आशय का निष्कर्ष दर्ज करता है कि कोई संपत्ति अवैध रूप से अर्जित संपत्ति है, तो वह घोषणा करेगा कि ऐसी संपत्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, केंद्र सरकार को सभी बाधाओं से मुक्त कर दी जाएगी।

(4) जहां इस अधिनियम के तहत किसी कंपनी के किसी भी शेयर को केंद्र सरकार को जब्त कर लिया जाता है, तो कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) या कंपनी के संघ के लेखों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्र सरकार को ऐसे शेयरों के हस्तांतरणकर्ता के रूप में तुरंत पंजीकृत करेगी।

ऐसे अन्य व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा। इसके बाद, सक्षम प्राधिकारी एक पारित कर सकता है

आदेश, निष्कर्षों को दर्ज करना कि क्या सूचीबद्ध संपत्तियां अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हैं या नहीं।

63. केसर देवी 3 में, इस न्यायालय ने कहा कि धारा 6 (1) की भाषा दोषी या बंदी और संपत्ति के बीच किसी भी संबंध या सांठगांठ का उल्लेख करने की किसी भी आवश्यकता का संकेत नहीं देती है।

धारा 2 (2) के खंड (ग), (घ) और (ङ) के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति के नाम पर और धारा 8 को भी संदर्भित करता है जिसमें विपरीत शामिल है।

सबूत का बोझ। हालाँकि, उक्त टिप्पणियों को अमृतलाल प्रजीवंदास 3 7 के मामले में संविधान पीठ के फैसले के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए, जो कि आधिकारिक और बाध्यकारी मिसाल है। वास्तव में, केसर देवी के 3-8 निर्णय में कहा गया है कि कुछ मामलों में जहां संबंध निकट और प्रत्यक्ष हैं, एक निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है और कोई संबंध या सांठगांठ का संकेत नहीं दिया जाना चाहिए और स्वयं कुछ संबंध या सांठगांठ का संकेत दिया जा सकता है, जिस पर विधिवत ध्यान दिया जा सकता है और विश्वास करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जा सकता है। हालाँकि, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर हो सकता है और सभी में सच नहीं हो सकता है।

मामले।

64. इसके अलावा, हमारी यह सुविचारित राय है कि 1976 के अधिनियम की धारा 6 (1) में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि दोषी की सेवा करना "अनिवार्य" है। या दोषी के रिश्तेदार के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते समय उस प्रावधान के तहत प्राथमिक नोटिस के साथ हिरासत में लिया जाता है। निस्संदेह, यदि अवैध रूप से अर्जित संपत्ति किसी व्यक्ति के नाम पर है और उसके कब्जे में भी है, जो दोषी का रिश्तेदार है और जो एक ऐसा व्यक्ति भी है जिसके लिए अधिनियम लागू होता है, तो दोषी को नोटिस जारी करने या हिरासत में लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उच्च न्यायालय ने विवादित फैसले में कहा था। क्योंकि, धारा 6 (1) में कहा गया है कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाना चाहिए जिसके पास दागी संपत्ति है और जिसके प्रभावित होने की संभावना है।

सम्पत्ति के अभिग्रहण का प्रस्ताव। तत्काल और सीधे तौर पर प्रभावित होने वाला व्यक्ति वह व्यक्ति है जो संपत्ति का अभिलिखित मालिक है और उसके कब्जे में खुद या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से है।

की ओर से। बाद के मामले में, धारा 8 के तहत सबूत का भार दोषी या बंदी द्वारा नहीं, बल्कि उस व्यक्ति द्वारा वहन किया जाना है जो अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को या तो स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से रखता है।

36 फुटनोट संख्या 6 पर सुप्रा फुटनोट संख्या 5 पर सुप्रा 38 फुटनोट संख्या 6 पर सुप्रा आय कर कार्यालय, क्रम I (2), कुम्बकोणम बनाम।

65. इस प्रकार, धारा 6 (2) में "ऐसा अन्य व्यक्ति" अभिव्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से वर्ग में आने वाले व्यक्ति के लिए संदर्भित है।

ऊपर पुनरुत्पादित, स्वतंत्र कारणों से अब तक चित्रित किया गया है। यह दृश्य इसलिए मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय में लिया गया निर्णय हमारी सराहना नहीं करता है और इसे उलट दिया जाता है।

66. पक्षकारों ने इस न्यायालय के अन्य निर्णयों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। हालाँकि, उन निर्णयों में इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है कि वर्तमान अपीलों में विचार के लिए उत्पन्न होता है।

67. यह कहने के बाद, हमें विवादित फैसले को दरकिनार करने और रिट को बहाल करके उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षों को खारिज करने की आवश्यकता है

दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध अन्य सभी मुद्दों और दलीलों पर नए सिरे से सुनवाई के लिए फाइल को उसके मूल नंबर पर याचिकाएं, जिसमें यह तर्क भी शामिल है कि उत्तरदाताओं (रिट याचिकाकर्ताओं) के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने में अत्यधिक, अनुचित और अस्पष्ट देरी हुई है और जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदाताओं से यह कहना अनुचित होगाः पूरी कार्यवाही के निर्णय को फिर से खोलकर स्पष्टीकरण दें। हम इन अपीलों में किसी अन्य याचिका पर विस्तार नहीं करना चाहते हैं। इसके अलावा, यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने पक्षों के लिए उपलब्ध किसी अन्य विवाद पर किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि विवादित निर्णय भी यह स्पष्ट करता है कि प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को केवल इस आधार पर अनुमति दी जा रही थी कि दोषी को प्राथमिक सूचना के बिना प्रतिवादियों के खिलाफ कार्रवाई दूषित है।

19 जनवरी 1994 को धारा 6 के तहत। तर्क के समय वकील को तथ्यात्मक स्थिति के बारे में पता नहीं था। लेकिन लिखित रूप में प्रस्तुतियाँ, अपीलार्थी और प्रत्यर्थियों ने स्वीकार किया है कि दोषी वी. पी. सेल्वराजन की अवधि 19 जनवरी 1994 की धारा 6 के तहत विवादित नोटिस जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी।

69. जो भी हो, वर्तमान मामले में, धारा 6 के तहत विचाराधीन संपत्तियां और नोटिस की विषय वस्तु [2021] 12 एस. सी. आर. के नाम पर हैं और उनके नाम पर हैं।

दोनों उत्तरदाताओं द्वारा। मृतक दोषी वी. पी. सेल्वराजन के उत्तराधिकारियों द्वारा इन संपत्तियों में किसी भी अधिकार या अधिकार का दावा नहीं किया गया है। यदि संपत्ति मृतक बंदी या दोषी के नाम पर थी, तो अलग-अलग विचार लागू हो सकते हैं। वर्तमान के संदर्भ में

चूंकि दोषी वी. पी. सेल्वराजन की अवधि 19 जनवरी 1994 को धारा 6 के तहत नोटिस जारी होने से पहले समाप्त हो गई थी, इसलिए उस पर नोटिस देने की आवश्यकता और आवश्यकता पैदा नहीं होगी।

70. तदनुसार, ये अपीलें सफल होती हैं। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य विवादित निर्णय और आदेश दिनांक 24.3.2008

लिखित याचिका संख्या में। 1149 और 2001 का 1150 अलग रखा गया है। इसके बजाय, रिट याचिकाओं को इस निर्णय में उत्तर दिए गए प्रश्न को छोड़कर दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध अन्य सभी मुद्दों और दलीलों पर कानून के अनुसार अपने गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए फाइल में उसकी मूल संख्या में पुनर्स्थापित किया जाता है। इस प्रकार, दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध अन्य सभी विवादों को खुला छोड़ दिया जाता है। हम उच्च न्यायालय से रिमांड का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध करते हैं

रिट याचिकाएँ। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

अ

पीलों की अनुमति दी गई।

निधि जैन